[ 2020 ] 10 एस. सी. आर 718

एम. सी. मेहता

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

( 1985 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 4677)

14 अगस्त, 2020

[ अरुण मिश्रा, बी. आर. गवई और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957-दिल्ली में पर्यावरण जैसे मुद्दों के संबंध में 1985 में वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी। भारी उद्योगों का स्थानांतरण, परिसरों का दुरुपयोग (अनधिकृत निर्माण सहित) आदि-उच्चतम न्यायालय ने 2006 में अनधिकृत/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए निगरानी समिति नियुक्त की-हालाँकि, एस. डी. एम. द्वारा लिखे गए एक पत्र पर कार्य करने वाली निगरानी समिति ने उस निजी भूमि पर आवासीय परिसरों को भी सील कर दिया जिसका उपयोग अवैध रूप से किया गया था।

वाणिज्यिक उद्देश्य-स्वामित्व-आयोजितः निगरानी समिति ऐसे किसी भी पत्र के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी-यह स्पष्ट है

इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश और निगरानी की रिपोर्ट

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्तियाँ-बाद में, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया-किसी भी समय, निगरानी समिति को अधिकार नहीं दिया गया था इस न्यायालय द्वारा निजी भूमि पर विशुद्ध रूप से आवासीय परिसर के संबंध में कार्य करने के लिए-यदि अनधिकृत निर्माण या विचलन है, तो आवश्यक प्रावधान 1957 के अधिनियम के तहत हैं-निगरानी समिति उस आवासीय परिसर को सील नहीं कर सकती थी जिसका वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं किया गया था जैसा कि रिपोर्ट No.149 में किया गया है, और न ही उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है।

रिपोर्ट No.149, अन्य संबंधित रिपोर्ट और उसके अनुसार सीलिंग की पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है-विध्वंस नोटिस भी रिपोर्ट No.149 के अनुसार सीलबंद संपत्तियों को रद्द कर दिया जाता है और मालिकों को अधिकार बहाल किया गया-भारत का संविधान अनुच्छेद 300 ए-दिल्ली विकास अधिनियम, 1957-दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006।

718 एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 निगरानी समिति को इस न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था और शक्तियों के भीतर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था

प्रदान किया गया। विभिन्न कानूनों के अनुसार, यह इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के चारों कोनों के भीतर सख्ती से कार्य करेगा। जब निगरानी समिति के गठन से पहले इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किए गए विभिन्न आदेश हैं

माना जाता है कि यह पाया गया है कि इस न्यायालय ने किसी भी समय निगरानी समिति को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया है

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए गए आवासीय परिसरों के संबंध में। इस न्यायालय ने शुरू में 7.5.2004 पर एक आदेश पारित किया और निगरानी समिति का गठन किया जिसमें (i) मुख्य सचिव दिल्ली, (ii) दिल्ली के पुलिस आयुक्त, (iii) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और (iv) दिल्ली के उपाध्यक्ष।

विकास प्राधिकरण। यह आदेश दिया गया कि निगरानी समिति अवैध औद्योगिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। निगरानी समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता बनाम मामले में दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से किया गया था। भारत संघ और अन्य। ( 2006 ) 3 एससीसी 399। इस न्यायालय के विचार के लिए एकमात्र प्रश्न अवैध या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसर का दुरुपयोग था। एम. सी. मेहता बनाम में दिनांकित 16.2.2006 आदेश से यह स्पष्ट है। भारत संघ ने कहा कि इस न्यायालय ने अनधिकृत निर्माण का उल्लेख किया लेकिन अनधिकृत/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय परिसर के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगरानी समिति नियुक्त की। दिनांक 16.2.2006 के आदेश के अनुसार, निगरानी समिति का गठन 24.3.2006 पर किया गया था। अदालत ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि एम. सी. मेहता बनाम के मामले में उसके आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। भारत संघ ने (2006) 3 एस. सी. सी. 429 को 24.3.2006 पर पारित किया। इस न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश दिया जिसका अर्थ है कि आवासीय परिसर/क्षेत्र का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विशेष कार्य बल के गठन के लिए इस न्यायालय द्वारा 24.4.2018 पर जारी निर्देशों के अनुपालन में, 25.4.2018 दिनांकित एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जो नहीं था

निगरानी समिति को लेकिन विशेष कार्य बल को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में। निगरानी समिति को अनधिकृत कॉलोनियों की देखभाल करने के लिए अधिकृत किया गया था, और विशेष कार्य बल को [2020] 10 एस. सी. आर. को हटाने का निर्देश दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण। इस न्यायालय ने रिपोर्ट No.114 पर विचार किया और इस तरह कुछ आदेश पारित किए। 2018 की रिपोर्ट No.114 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है। इस प्रकार, इस न्यायालय का आदेश सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के रूप में रिपोर्ट में उल्लिखित अनधिकृत कॉलोनियों और वाणिज्यिक गतिविधियों तक ही सीमित था। यह न्यायालय

विशेष रूप से कई आदेशों में शक्ति और निगरानी समिति के उद्देश्य से संबंधित प्रश्नों को संबोधित किया गया था।

नियुक्त किया गया। अतिक्रमण का मामला चिंता का विषय है, लेकिन निगरानी समिति उसे प्रदत्त शक्तियों और उद्देश्य के चार कोनों के भीतर कार्य कर सकती है जिसके लिए अदालत

निगरानी समिति नियुक्त की। यह अपनी शक्तियों को पार नहीं कर सकता है और अदालत द्वारा अपने प्राधिकरण से परे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। [ पारस 17-19 (i), (ii), (vi), 20,31,32,36 और 43] [732-C-E; 733-A-B; 735 C; 743-E-F; 744-F; 760-D; 761-C-D; 763-A-B; 766-G]

एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 3 एस. सी. सी.

399 : [ 2006 ] 2 एससीआर 264; एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ (2006) 3 एस. सी. सी. 429 में सूचित-संदर्भित।

1.2 इसके द्वारा पारित विभिन्न आदेशों से यह स्पष्ट है।

मंजूरी। किसी भी समय, इस न्यायालय ने निगरानी समिति को विशुद्ध रूप से आवासीय परिसर के संबंध में कार्य करने का अधिकार नहीं दिया था। संपत्ति को सील करने की शक्ति नागरिक होती है। परिणाम। कानून के अनुसार एक प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। निगरानी समिति संबंधित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है

निजी भूमि पर स्थित आवासीय परिसर। यदि अनधिकृत निर्माण है या विचलन के मामले में, आवश्यक प्रावधान डी. एम. सी. अधिनियम के तहत हैं, जैसे कि धारा 343,345, एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम।

क्योंकि इस न्यायालय ने समिति को मामले में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि विशेष रूप से जब निगरानी समिति को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, तो सत्ताधारियों को उचित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता था। कानून के अनुसार संरक्षण। जहाँ तक निगरानी समिति की कार्रवाई का संबंध है, कहीं और कोई अपील नहीं है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी किसी भी मामले पर विचार करने और अपनी कार्रवाई की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है, इस न्यायालय द्वारा जनहित में एक असाधारण उपाय के माध्यम से उठाया गया कठोर कदम है, और यह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय संपत्ति के दुरुपयोग तक सीमित है और

सार्वजनिक भूमि, सड़कों पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण। [ पारस 87,88] [783-ई-एफ; 788-ई-एफ]

राजस्थान राज्य बनाम। बसंत नाहटा (2005) 12 एस. सी. सी. 77: [ 2005 ] 3 पूरक। एससीआर 1; के. टी. प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड वी। कर्नाटक राज्य (2011) 9 एससीसी 1: [ 2011 ] 13 एससीआर

636 ; टी. विजयलक्ष्मी बनाम नगर नियोजन सदस्य, (2006) 8 एस. सी. सी. 502 [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 534; यू. पी. राज्य बनाम। मनोहर (2005) 2 एससीसी 126: [ 2004 ] 6 पूरक। एससीआर 911; दिल्ली एयरटेक सर्विसेज (पी) लिमिटेड और एएनआर। वी. यू. पी. और एन. आर. राज्य ( 2011 ) 9 एससीसी 354: [ 2011 ] 12 एस. सी. आर. 191; रामचंद्र रवींद्र वाघमारे बनाम। इंदौर नगरपालिका

निगम (2017) 1 एससीसी 667: [ 2016 ] 9 एस. सी. आर. 373; अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। , ( 2007 ) 8 एससीसी 705: [ 2007 ] 6 एससीआर 799; गुजरात राज्य बनाम।

शांतिला

ल [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंगलदास और ओआरएस। , ( 1969 ) 1 एस. सी. सी. 509 [1969] 3 एस. सी. आर. 341; भावनगर विश्वविद्यालय बनाम। पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड, (2003) 2 एससीसी 111: [ 2002 ] 4 पूरक। एस. सी. आर. 517; श्रीरामपुर नगर परिषद बनाम। सत्यभामाबाई

भीमाजी डाकर (2013) 5 एस. सी. सी. 627: [ 2013 ] 2 एससीआर

664 – पर भरोसा किया।

1.4 निगरानी समिति की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों को देखने के बाद जिन पर भरोसा किया गया है

न्यायमित्र, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निगरानी समिति ने अतीत में किसी भी समय निजी भूमि पर स्थित आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे किसी भी आवासीय परिसर को सील नहीं किया था और न ही उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया जा सकता था। निगरानी समिति की विभिन्न रिपोर्टों का 'शीर्षक' अर्थात " निगरानी की प्रारंभिक रिपोर्ट

वाणिज्यिक मुद्राङ्कन के लिए समिति

आवासीय पूर्वानुमोदन की स्थापना "यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि निगरानी समिति ने उस उद्देश्य के बारे में किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं किया जिसके लिए इसका गठन किया गया था। इसके अलावा, बाद के आदेशों द्वारा सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर अनधिकृत निर्माण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो एमपीडी-2021 का उल्लंघन करता है। वैकल्पिक निवेदन यह उठाया गया कि निगरानी समिति ने ईमानदारी से काम किया

उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे गए पत्र का उदाहरण। इस न्यायालय की राय है कि निगरानी समिति ऐसे किसी पत्र के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। निगरानी समिति के लिए इस मामले में कार्रवाई करने की अनुमति नहीं थी। हो सकता है कि इसने पत्र द्वारा उत्पन्न किसी भ्रम के तहत काम किया हो। जो भी हो सकता है। यह न्यायालय ईमानदारी के मामले में आगे नहीं जाना चाहता है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि इसकी कार्रवाई उस उद्देश्य से परे थी जिसके लिए इसे नियुक्त किया गया था। यह न्यायालय अन्य प्रस्तुतियों के गुण-दोष में नहीं जा रहा है, चाहे परिसर अधिकृत हों या अनधिकृत, उन्हें नियमित किया जा सकता है या नहीं, चक्रवृद्धि की जा सकती है या कोई विचलन किया गया है। निगरानी समिति की रिपोर्ट और दर्ज किए गए निष्कर्ष

इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि इसके पास विभिन्न प्रश्नों में जाने का कोई अधिकार नहीं था। इस न्यायालय ने निगरानी समिति की नियुक्ति नहीं की थी

निजी भूमि पर प्रत्येक आवासीय भवन से संबंधित

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और उसी से निपटने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, यह न्यायालय स्वयं मामले की निगरानी कर रहा है एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

एक सीमित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। इसने अन्य मामलों से संबंधित अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरणों की शक्तियों को नहीं खोया है

आदेश में निर्दिष्ट को छोड़कर। [ पारस 89-91] [788-G-H; 789-A-F]

1.5 रिपोर्ट No.149 और प्रस्तुत की गई अन्य रिपोर्टें

बाद में रिपोर्ट No.149 के संबंध में और उसके अनुसार सीलिंग की पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है। विध्वंस का निर्देश देते हुए जारी किए गए नोटिस जहां इस न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही थी और निगरानी समिति के पास मामले को देखने और कोई कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी, उन्हें भी रद्द कर दिया जाता है। रिपोर्ट No.149 के अनुसार सील की गई संपत्ति को सील कर दिया जाए और मालिकों को तुरंत कब्जा वापस कर दिया जाए। [ पैरा 93] [789-जी-एच]

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्र. ( 1988 ) 2 एससीसी 602:

[ 1988 ] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1; बोनक्या बनाम। महाराष्ट्र राज्य

( 1995 ) 6 एससीसी 447: [ 1995 ] 4 पूरक। एससीआर 89; प्रेम

चंद गर्ग बनाम। कार्यकारी आयुक्त यू. पी., ए. आई. आर. 1963

एससी 996: [ 1963 ] पूरक। एससीआर 885; एससीबीए बनाम। संघ का

भारत (1998) 4 एससीसी 409: [ 1998 ] 2 एससीआर 795; आरिफ

हमीद वी. जम्मू और कश्मीर राज्य, (1989) 2 पूरक। एससीसी 364:

[ 1989 ] 3 एस. सी. आर. 19 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[ 1988 ] 1 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 1995 ] 4 पूरक। एससीआर 89

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 1963 ] पूरक। एससीआर 885

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 1998 ] 2 एससीआर 795

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 1989 ] 3 एस. सी. आर 19

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

[ 2006 ] 2 एससीआर 264

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

( 2006 ) 3 एस. सी. सी. 429

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

[ 2005 ] 3 पूरक। एससीआर 1

पैरा 87

[ 2011 ] 13 एससीआर 636

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 2006 ] 7 पूरक। एससीआर 534

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 2004 ] 6 पूरक। एससीआर 911

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 2011 ] 12 एससीआर 191

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[2020] 10 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 2016 ] 9 एससीआर 373

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 2007 ] 6 एससीआर 799

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 1969 ] 3 एससीआर 341

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 2002 ] 4 पूरक। एससीआर 517

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

[ 2013 ] 2 एससीआर 664

उस पर भरोसा करें

पैरा 87

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

4677 1985 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) 2006 की सं. 266,263,264,450,464,470,569,563,610,

डब्ल्यू. पी. (ग) 2008 का सं. 212 और 229, डब्ल्यू. पी. (ग) 2009 की सं. 144 और 2018 की सं. 33454।

तुषार मेहता, एसजी, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, संजय जैन, एएसजी, अनिल

ग्रोवर, एएजी, हरियाणा, रंजीत कुमार, सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता। ( ), वसीम ए. कादरी, मुकुल रोहतगी, आर. सी. मिश्रा, संजीव सेन, सिद्धार्थ लूथरा, ध्रुव मेहता, नलिन कोहली, राकेश।

के. खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. डी. एन. राव, (ए. सी.), डी. एल. चिदानंद, सुश्री सुहासिनी सेन, एस. एस. रेबेलो, रजत नायर, आँख घोष, राजेश के. सिंह, राज बहादुर यादव, बी. वी. बलराम दास, गौरव मित्रा, निखिल रोहतगी, अमन गुप्ता, संजय कुमार दुबे, सुश्री अनन्या मिश्रा, लिन सारस्वत, डॉ. चारू माथुर, सुश्री गरिमा प्रसाद, जी. एस. ओबेरॉय, सुश्री मृणालिनी सेनगुप्ता, अकरज कुमार, पद्मेश मिश्रा, प्रवीण स्वरूप, अजय बंसल, सौमो पालित, कनिशिक चौधरी, डॉ. मोनिका गुसैन, सुश्री नूपुर सिंघल, राहुल खुराना, संजय कुमार विसेन, सुश्री अनिल कटियार, डी. एन. गोबर्धन, आलोक गुप्ता, नवीन कुमार, विजय पंजवानी, एजाज मकबूल, अभिमन्यु।

क्षितिज वैभव, सुश्री सुवर्णा दुबे, सुश्री बीना गुप्ता, सुश्री अनिल कटियार, डी. एन. गोबर्धन, नवीन कुमार, एजाज मकबूल, रोहन खरबंदा,

मुश्ताक अहमद, सुश्री उषा नंदिनी। वी, वी. के. वर्मा, एस. चंद्र शेखर, सुश्री प्रशांति प्रसाद, प्रकाश कुमार सिंह, सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल, अभिनव मुखर्जी, सूर्यकांत, मेसर्स। लॉ एसोसिएट्स, प्रशांत भूषण, मनदीप सिंह आनंद, एम. सी. ढींगरा, मनु शंकर मिश्रा, प्रकाश कुमार सिंह, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, मैसर्स। पारेख एंड कंपनी, प्रवीर चौधरी, मो. फरमान, प्रणय कुमार महापात्रा, तेजस्वी कुमार प्रधान, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, संजीव आनंद, सुश्री उत्तरा बब्बर, अभय कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुनील कुमार जैन,

वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, प्रशांत चौधरी, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, पी. परमेस्वरन, नीरज कुमार गुप्ता, श्रीमती अमिता गुप्ता,

राज कमल, हिमिंदर लाल, एम. पी. शोरावाला, अरविंद गुप्ता, आभास कुमार, विवेक नारायण शर्मा, मिलिंद कुमार, सुश्री कविता वाडिया, अजय कुमार सिंह, गगन गुप्ता, मैसर्स। एम. वी. किनी एंड एसोसिएट्स, योगिंदर हांडू, जसमीत सिंह, गौरव शर्मा, प्रकाश रंजन नायक, टी. महिपाल, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, अरविंद कुमार शर्मा, रजत जोसेफ, रविंदर कुमार यादव, शेखर प्रीत झा, ओ. पी. भदानी, अमरजीत सिंह बेदी, एजाज मकबूल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, आनंद मिश्रा, रमेश कुमार मिश्रा, सुश्री एस. जनानी, अशोक आनंद, करुणाकर महालिक, नवीन आर. नाथ, विष्णु शर्मा, एम. एम. कश्यप, ए. रघुनाथ, सुश्री केवी भारती उपाध्याय, सुश्री रजनी ओहरी लाल, राकेश मिश्रा, प्रणय कुमार। महापात्रा, तेजस्वी कुमार प्रधान, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, संजीव आनंद, सुश्री उत्तरा बब्बर, अभय कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुनील कुमार जैन, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, प्रशांत चौधरी, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, नीरज कुमार गुप्ता, श्रीमती अमिता गुप्ता, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, देवेंद्र सिंह, निकलेश रामचंद्रन, अभिजीत सेनगुप्ता, सुश्री बीनू टम्टा, टी. एल. गर्ग, रवि कुमार तोमर, तरुण जौहरी, अविजीत भट्टाचार्जी, अश्विनी कुमार, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, संजय

कपूर, सुधीर नागर, ए. वेनायगम बालन, एस. चंद्र शेखर, शिव [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकाश पांडे, हरीश पांडे, शेखर कुमार, अन्नम डी. एन. राव, सतीश अग्रवाल, श्रीमती रेखा पांडे, सेंथिल जगदीशन, सुश्री प्रशांति प्रसाद, सुश्री प्रेरणा मेहता, सुश्री अनु गुप्ता, सुश्री रुखसाना चौधरी, राज कमल, हिमिंदर लाल, अरविंद गुप्ता, विवेक नारायण शर्मा, मिलिंद कुमार, अजय कुमार सिंह, गगन गुप्ता, मैसर्स। एम. वी. किनी एंड एसोसिएट्स, योगिंदर हांडू, जसमीत सिंह, गौरव शर्मा, प्रकाश रंजन नायक, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

इन आरईः न्यायनिर्णयक सम्बन्धमे मुद्दा

निगरानी समिति

1. हम "निजी भूमि पर आवासीय परिसर को सील करने के लिए निगरानी समिति" के अधिकार के साथ काम कर रहे हैं, विशेष रूप से जब

इनका उपयोग "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए नहीं किया जा रहा है। क्या निगरानी समिति इन आवासीय परिसरों को सील कर सकती थी, यह एकमात्र सवाल है जिसकी हम इस आदेश में जांच कर रहे हैं।

वसंत कुंज और राजोकरी क्षेत्र में किया गया। ये हैं निर्माण वे सार्वजनिक भूमि पर नहीं थे। संबंधित व्यक्तियों के पास भूमि थी, और

समिति ने प्रस्तुत किया था कि एस. डी. एम. से एक पत्र प्राप्त हुआ था। दिल्ली के वसंत कुंज में अनधिकृत निर्माण के संबंध में महरौली 22.2.2019 पर।

3. निवासियों की ओर से एक जवाब दायर किया गया था कि विभिन्न आवासीय परिसरों को सील कर दिया गया था जहां निर्माण बहुत पहले किए गए थे। निगरानी समिति के पास सील करने का कोई अधिकार नहीं था विशुद्ध रूप से आवासीय परिसर। यह बताया गया कि उनकी संरचना कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र (एल. डी. आर. ए.) के भीतर मास्टर प्लान (एम. पी. डी.-2021) के अनुरूप थी जिसे अधिसूचना No.S.O.1199 (ई) दिनांक 10.5.2013 और अधिसूचना No.S.O.1744 (ई) दिनांक 18.6.2013 द्वारा संशोधित किया गया था। कानून/वैधानिक प्रावधानों द्वारा विभिन्न पर निर्भरता रखी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि निगरानी समिति लेने के लिए अधिकृत नहीं थी

कार्रवाई की जानी चाहिए और आवासीय परिसर को सील कर दिया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में संयोजन किया गया है। लागू एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के प्रावधानों को देखते हुए संरचना को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

अधिनियम, उप-कानून और नीति। इसे नियमित किया जाना चाहिए जिसके लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना लंबित थी।

4. यह आगे तर्क दिया गया कि यह एक आवासीय क्षेत्र है, फार्महाउस को कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया था, और परिसर थे

आवासीय परिसर के रूप में उपयोग किया जाता है। वे एम. पी. डी.-2021 के अनुरूप हैं। महरौली "एक शहरीकृत गाँव है। निगरानी समिति को आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर को सील करने का अधिकार नहीं था। खंड 4.4 के तहत प्रदान किए गए आवास के उपयोग के लिए निर्माण को बढ़ाने की अनुमति थी। 3 एम. पी. डी.-2021 का जी. रिलायंस को एन. डी. आर. ए. नीति में भी रखा गया है।

5. हमने सुना है कि श्री रंजीत कुमार, सुश्री अनीता शेनॉय और श्री ए. डी. एन. राव, विद्वान न्यायमित्र, श्री राकेश खन्ना, श्री

सिद्धार्थ लूथरा, श्री मुकुल रोहतगी, श्री आर. सी. मिश्रा, श्री नलिन कोहली, श्री वसीम, श्री संजीव सेन, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल, श्री डी. एन. गोबर्धन, श्री नवीन कुमार, सुश्री करुणा नंदी, विद्वान वकील और पक्षों की ओर से पेश होने वाले अन्य विद्वान वकील।

6. न्यायमित्र श्री रंजीत कुमार ने अपने सामान्य जोश के साथ आग्रह किया कि इस न्यायालय में 1985 की रिट याचिका (सी) No.4677 दायर की जाए। दिल्ली में पर्यावरण के संबंध में, भारी उद्योगों, हानिकारक उद्योगों का स्थानांतरण, दिल्ली और उसके आसपास अरावली पहाड़ियों में सभी खनन को रोकना जिसमें वन भूमि पर निर्मित कॉलोनियों को ध्वस्त करना, परिसर का दुरुपयोग (दुरुपयोग में अनधिकृत निर्माण शामिल है), यानी बिना मंजूरी के निर्माण, नागरिक सुविधाओं की कमी और उनके उन्नयन की आवश्यकता आदि। इस न्यायालय ने वर्ष 2006 में निगरानी समिति की नियुक्ति की। विभिन्न आदेशों को यह प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है कि निगरानी समिति उन परिसरों का निरीक्षण करने का हकदार है जिनमें कोई अवैध निर्माण किया गया है। इस न्यायालय ने 6.12.2017 पर अपनी शक्ति को बहाल किया। यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया था कि अदालत के आदेश और लागू उपनियमों को लागू किया जाए। एम. पी. डी.-2021 के अवमूल्यन में एल. डी. आर. ए. नीति है

7. विद्वान न्यायमित्र ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांकित 24.4.2018,8.5.2018,15.5.2018,1 8.5.2018,24.5.2018, और विभिन्न अन्य आदेशों और कुछ रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया, जिनका हम बाद में उल्लेख करेंगे। उन्होंने बताया कि विशेष कार्य बल का गठन 25.4.2018 पर किया गया था। द. निगरानी समिति के पास अनधिकृत निर्माण, [2020] 10 एस. सी. आर. को सील करने की शक्ति है।

निर्माण गतिविधियाँ। 8. विद्वान न्यायमित्र ने यह भी तर्क दिया कि निगरानी समिति मंजूरी योजना के साथ निर्माण देखने के लिए अधिकृत है या

मंजूरी योजना के विपरीत निर्माण। वैकल्पिक रूप से, विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निगरानी समिति को आवासीय परिसरों से संबंधित शक्ति नहीं सौंपी गई थी, जब उनका उपयोग "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए नहीं किया जा रहा था, क्योंकि सीलिंग की शक्ति का प्रयोग (रिपोर्ट No.149 के अनुसार) एस. डी. एम. द्वारा किए गए अनुरोध और किसी भी आदेश पर ईमानदारी से किया गया था, जिसे पारित किया जा सकता है और संचालन में संभावित होने का आदेश दिया जा सकता है।

9. सुश्री अश्वारिया भाटी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

आवासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश होते हुए कहा गया कि निगरानी समिति को उस परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है जहां सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हैं। इस न्यायालय के दिनांक 3.1.2012 के आदेश पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसे निर्णय और दिनांक 15.12.2017 के आदेश के माध्यम से वापस ले लिया गया था। इस न्यायालय ने 15.12.2017 पर निगरानी समिति को पहले की तरह काम करना जारी रखने का आदेश दिया। इस न्यायालय ने 23.4.2006 पर निगरानी समिति का गठन किया

"वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय परिसर" के उपयोग को संबोधित करने का सीमित उद्देश्य। निगरानी समिति को सीमित जनादेश के बावजूद, इसने अन्य परिसरों को अवैध रूप से सील कर दिया। इसे हटाने के लिए 24.4.2018 के आदेश के अनुसार एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है।

सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक सड़कों और पैदल चलने वालों की सड़कों पर अतिक्रमण, और यह निगरानी समिति का काम था कि वह विशेष कार्य बल को उन क्षेत्रों का सुझाव दे जहां उपरोक्त पहलू के संबंध में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (3) के तहत विशेष कार्य बल का गठन किया गया था। इस प्रकार, यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें अवैध निर्माण, जनता पर अतिक्रमण के संबंध में लागू कानूनों के कार्यान्वयन की देखरेख करने का कार्य है। भूमि, सार्वजनिक उद्यान, पार्किंग स्थल, सड़कें, फुटपाथ आदि। उल्लंघन की सूचना मिलने पर विशेष कार्य बल पर्याप्त कार्रवाई कर रहा है।

10. दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. एन. गोबर्धन ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

ए। कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (संक्षेप में, "डी. एम. सी. अधिनियम") अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। दिल्ली नगर निगम एक सांविधिक निकाय है जिसे अपने कार्यों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके पास है

इस न्यायालय ने भवन विनियमों और डी. एम. सी. अधिनियम की धारा 334 और 335 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जो प्रतिबंधों, परिवर्धनों, परिवर्तनों और उचित मामलों में कार्रवाई करने की इसकी शक्ति से संबंधित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डी. एम. सी. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है क्योंकि यह प्रदान करता है कि कैसे

सीलिंग की जानी है, जब इसे लागू किया जाना है, और इसकी विफलता के मामले में, धारा 490 के तहत उपाय प्रदान किया जाता है। डी. एम. सी. अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण और प्रशासक को सांविधिक अपीलें प्रदान की जाती हैं। संपत्तियों को सील करने के लिए एक पूर्ण नियामक तंत्र प्रदान किया गया है। इस प्रकार, इसे डीएमसी अधिनियम के तहत निगरानी समिति द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

बी। इस न्यायालय ने केवल वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 16.2.2006 पर निगरानी समिति नियुक्त की और आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले आवासीय परिसरों के संबंध में नहीं। एक बार जब निगरानी समिति सीलिंग कर देती है, तो कोई वैधानिक अपील नहीं की जाती है

यह अधिनियम की धारा 347 (ए) और 347 (बी) के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष है। सांविधिक अपीलों को निगरानी समिति को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने परिसर को सील करने का आदेश दिया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को हवा में फेंक दिया गया। निगरानी समिति की नियुक्ति का आदेश सीमित उद्देश्य के लिए था और शक्ति पारित की गई थी

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत। ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और ए. एन. आर. मामले में इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए यह आदेश भी वापस लेने योग्य है। ( 1988 ) 2 एस. सी. सी. 602, बोन्क्या बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) 6 एस. सी. सी. 447, प्रेम चंद गर्ग बनाम। कार्यकारी आयुक्त यू. पी., ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996 और एस. सी. बी. ए. बनाम। भारत संघ (1998) 4 एस. सी. सी. 409।

सी। कि सांविधिक निकायों के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्यों का सीमांकन संविधान और सांविधिक प्रावधानों के तहत किया गया है।

निगरानी समिति द्वारा प्रावधानों को हटाया नहीं जा सकता है। रिलायंस आरिफ हमीद वी. पर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य, (1989) पूरक। [ 2 ] एससीसी 364।

डी। विधायिका ने नगर निगम को सील करने या ध्वस्त करने की वैधानिक शक्ति प्रदान की है और निगरानी समिति इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। वैधानिक निकायों की शक्तियों को पूरी तरह से निरस्त करने की इसकी शक्ति।

11. श्री राकेश खन्ना, विद्वान वरिष्ठ वकील

एल. ए. सी. के फेडरेशन ऑफ दिल्ली की ओर से प्रस्तुत किया गया कि यह न्यायालय [2020] 10 एस. सी. आर. पर।

हम केवल इस सीमित प्रश्न से निपटने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या निगरानी समिति को इस न्यायालय द्वारा आवासीय परिसर को सील करने का अधिकार है। हम श्री खन्ना द्वारा उठाए गए वाणिज्यिक भूखंडों के सवाल को अलग से निपटाने के लिए छोड़ते हैं। 12. श्री खन्ना ने आगे तर्क दिया कि निगरानी समिति के पास विशुद्ध रूप से आवासीय परिसरों को सील करने का कोई अधिकार नहीं था। उसने हमें आकर्षित किया है

इस न्यायालय के आदेश, जिसके द्वारा इसका गठन किया गया था, और इस संबंध में पारित विभिन्न अन्य निर्णयों और आदेशों पर ध्यान दें। उन्होंने तर्क दिया है कि निगरानी समिति चुप रही, इस अदालत द्वारा 7.5.2019 पर किए गए प्रश्न के अनुसार कि क्या अतीत में, रिपोर्ट No.149 प्रस्तुत किए जाने से पहले, निगरानी समिति ने आवासीय परिसरों को सील कर दिया था जिनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था। निगरानी समिति द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आवासीय परिसरों को सील करने के संबंध में कोई पिछला उदाहरण नहीं दिया गया था, विशेष रूप से जब इसे सार्वजनिक भूमि पर नहीं बनाया गया था। उन्होंने एल. डी. आर. ए. नीति और अनुज्ञेय नियमितीकरण के संबंध में भी तर्क दिया है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नलिन कोहली ने इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और न्यायालय की रिपोर्ट के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है।

निगरानी समिति यह प्रस्तुत करे कि इस न्यायालय ने आवासीय संपत्तियों के वाणिज्यिक दुरुपयोग को रोकने के सीमित उद्देश्य के लिए निगरानी समिति नियुक्त की है। किसी भी समय, इस न्यायालय ने निगरानी समिति को इसके लिए उपयोग किए जाने वाले आवासीय परिसर को सील करने के लिए अधिकृत नहीं किया

आवासीय उद्देश्य जो भी निजी भूमि पर स्थित हों। इस प्रकार की कार्रवाई

ऐसे घरों को सील करना अनुचित और अवैध है।

14. विद्वान वकील श्री नवीन कुमार ने दिनांकित 7.5.2019 आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस अदालत ने निगरानी समिति की मांग की न्यायालय द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति के संबंध में निर्दिष्ट करना और दूसरा, कोई पूर्व उदाहरण जहां निगरानी समिति ने ऐसे परिसरों को सील कर दिया हो। निगरानी समिति ने दिनांकित 23.11.2006, एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के आदेशों का उल्लेख किया।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

12.2.2007 , 9.3.2007 , और 10.4.2007 अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए। यह तर्क दिया गया कि समिति द्वारा जिन आदेशों पर भरोसा किया गया है, वे ऐसे परिसरों को सील करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं। निगरानी समिति की नियुक्ति केवल आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई थी। बाद के आदेशों से संकेत मिलता है कि यह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों से निपटने के लिए अधिकृत था।

15. रिपोर्ट No.149 के अनुसार जिन अधिकारियों की संपत्ति को सील कर दिया गया है, उनकी ओर से भी इसी तरह की दलीलें दी गई हैं। द.

निगरानी समिति को सीमित शक्तियाँ दी गईं, जिन्हें 30.4.2012 पर विभाजित कर दिया गया था। बाद में 6.12.2017 के आदेश के अनुसार, निगरानी समिति को उस शक्ति के साथ बहाल किया गया जिसका उसने पहले प्रयोग किया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 25.4.2018 पर एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया था।

16. विद्वान वकील सुश्री करुणा नंदी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है

कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा, इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा समर्थित है। जब निगरानी समिति को ऐसे आवासीय परिसरों से निपटने का अधिकार नहीं है, तो वह कार्रवाई नहीं कर सकती थी। डी. एम. सी. अधिनियम की धारा 347 ए और 347 बी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ डी. एम. सी. अधिनियम के तहत विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाती है। निगरानी समिति, जब तक कि इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं है, डी. एम. सी. अधिनियम के तहत प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर सकती है। विद्वान वकील द्वारा बाद में संदर्भित किए जाने वाले विभिन्न निर्णयों पर भरोसा रखा गया है।

( i) विशेष रूप से जब निगरानी समिति को ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, तो निगरानी समिति की कार्रवाई के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है। केवल यह एक प्रतिनिधित्व सुनता है। उच्च न्यायालय भी निगरानी समिति के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

( ii) सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक सड़कों और पैदल चलने वालों की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में भी, विशेष कार्य बल को इसके लिए अधिकृत किया गया है - कार्रवाई करें। इस प्रकार, निगरानी समिति की शक्ति के बाद

विशेष कार्य बल का गठन और भी प्रतिबंधित है, और यह निगरानी समिति पर है कि वह सार्वजनिक भूमि, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के संबंध में विशेष कार्य बल को सुझाव दे।

( iii) आवासीय परिसर के व्यवसाय में संपत्ति के मालिक के लिए उपलब्ध उपचारों की श्रृंखला से वंचित नहीं किया जा सकता है

निगरानी समिति। विध्वंस और रोक के संबंध में प्रावधान [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ मामलों में भवनों और कार्यों की संख्या डी. एम. सी. अधिनियम की धारा 343 में निहित है, धारा 345 कार्य में परिवर्तन की आवश्यकता के लिए आयुक्त की शक्ति से संबंधित है; धारा 347 ए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का प्रावधान करती है, धारा 347 बी अधिनियम के तहत जारी किए गए कुछ आदेशों और नोटिसों के खिलाफ अपील से संबंधित है और धारा 347 ई अदालतों की अधिकारिता के अवरोधक से संबंधित है। एक बार वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाने के बाद, इसे निगरानी समिति द्वारा तब तक नहीं निपटाया जा सकता जब तक कि यह अधिकृत न हो।

परिचर्चाः

17. निगरानी समिति नियुक्त की गई और उसे अधिकार दिए गए

इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के भीतर कार्रवाई करने के लिए। विभिन्न कानूनों के अनुसार, यह शक्तियों के चारों कोनों के भीतर सख्ती से कार्य करेगा

इस न्यायालय द्वारा इसे प्रदान किया गया।

18. जब हम निगरानी समिति के गठन से पहले इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने किसी भी समय निगरानी समिति को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए गए आवासीय परिसरों के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया है। इस न्यायालय ने शुरू में 7.5.2004 पर एक आदेश पारित किया और निगरानी समिति का गठन किया जिसमें (i) प्रमुख शामिल थे।

दिल्ली के सचिव, (ii) दिल्ली के पुलिस आयुक्त, (iii) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और (iv) दिल्ली के उपाध्यक्ष।

विकास प्राधिकरण। यह आदेश दिया गया कि निगरानी समिति अवैध औद्योगिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। यह आदेश

दिनांकित 7.5.2004 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" माननीय न्यायमूर्ति श्री वाई. के. सभरवाल ने घोषणा की कि

हस्ताक्षरित निर्णय के संदर्भ में निर्देश जारी करने वाले न्यायालय का निर्णय।

एक निगरानी समिति जिसमें (i) दिल्ली के मुख्य सचिव (ii) पुलिस आयुक्त, दिल्ली (iii) आयुक्त,

दिल्ली नगर निगम और (iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। यह समिति अवैध औद्योगिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। यह होगा,

तथापि, निगरानी समिति के उपरोक्त सदस्यों के लिए अपने अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए खुला रहें ताकि वे निगरानी कर सकें और इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

निर्णय।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

समिति द्वारा पहली प्रगति रिपोर्ट 31 अगस्त, 2004 तक दाखिल की जाएगी और उसके बाद इसे कम से कम एक बार दाखिल किया जाएगा।

हर दो महीने की अवधि में। ”

19. ( i) निगरानी समिति का गठन एम. सी. मेहता बनाम मामले में इस अदालत के फैसले और दिनांक 1 के आदेश द्वारा किया गया था। यूनियन ऑफ एंड ओआरएस, (2006) 3 एससीसी 399। प्रासंगिक भाग निम्नलिखित हैः

समय। 2. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इस न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। क्या होता है जब उल्लंघन करने वाले और/या उल्लंघन को बढ़ावा देने वाले वे होते हैं, जिन्हें कानून द्वारा इन अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है? यह कार्य कठिन हो जाता है और इसके लिए अदालत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है ताकि कानून के शासन को संरक्षित किया जा सके और लोग इसमें विश्वास न खोएं, कथित कार्यान्वयनकर्ताओं के हाथों उल्लंघन पाए। समस्या यह नहीं है कि

कानून का अभाव, लेकिन इसके कार्यान्वयन का।

3. इस तरह के बड़े पैमाने पर घोर उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को प्राथमिकता देनी थी कि किन उल्लंघनों पर पहले और फिर कार्रवाई की जा सकती है

उचित निर्देश जारी करें। इस दृष्टिकोण से, पहली बार में, खतरनाक और हानिकारक को स्थानांतरित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

दिल्ली से बाहर उद्योग। भारी और बड़े उद्योगों के साथ-साथ कुछ व्यापक उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। के लिए

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थानांतरित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाद में, उन उद्योगों के साथ-साथ आवासीय/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में जारी कुछ अन्य उद्योगों द्वारा मास्टर प्लान और क्षेत्रीय योजना के विपरीत निरंतर अनधिकृत उपयोग पर विचार करते हुए अन्य व्यापक उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

5. आवासीय क्षेत्रों में परिसरों के वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में, तीन साल से अधिक समय हो गया है यानी 30-9-2002 जब उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। वास्तव में, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग का सवाल था

इसे पहले भी लिया गया था जैसा कि 31-7 [2020] 10 एस. सी. आर. के आदेशों से स्पष्ट है।

2001 और 20-2-2002। समाचार में पारित दिनांक 31-7-2001 के आदेश द्वारा मद AQFMY v. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1 न्यायालय

निर्देश दिया किः

" एम. सी. डी. इस अदालत को हलफनामे में यह भी सूचित करेगा कि

दर्ज किया गया कि रोकने के लिए कोई आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है

आवासीय क्षेत्रों में भवनों का घोर दुरुपयोग

वाणिज्यिक उद्देश्यों और वाणिज्यिक निर्माण में

आवासीय क्षेत्रों में इमारतें जहाँ केवल आवासीय उपयोग किया जाता है

अनुमति दी "।

6. फिर से 20-2-2002 पर, 31-7-2001 दिनांकित आदेश को दोहराया गया। निम्नलिखित शब्दों मेंः

" एम. सी. डी. को चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है।

आज एक शपथ पत्र जो यह दर्शाता है कि वह किस लिए करना चाहता है

आवासीय क्षेत्रों में भवनों के दुरुपयोग को रोकना

जिनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जैसा कि किया गया है

इस न्यायालय के दिनांकित 31-7-2001 आदेश द्वारा निर्देशित। यदि कोई शपथ पत्र नहीं है दाखिल किया जाता है, उसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए

नगर आयुक्त द्वारा न्यायालय "।

11. दिनांकित 31-5-2002 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, निपटान

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि न तो डी. एम. सी. अधिनियम और न ही दिल्ली विकास अधिनियम के तहत, कोई था

इसके दुरुपयोग के लिए संपत्ति को सील करने की शक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस तरह की सीलिंग के कारण परिसर की सीलिंग की शक्ति कठोर है,

एक व्यक्ति बेघर हो सकता है, इस प्रकार, अपने मनुष्य को प्रभावित कर सकता है या

मौलिक अधिकार और इस संबंध में सीलिंग की शक्ति

दुरुपयोग को जानबूझकर प्रावधानों से बाहर रखा गया है

दो अधिनियम। बाद में, कुछ अन्य मामलों पर भी निर्णय लिया गया

पूर्ण पीठ के फैसले के बाद उच्च न्यायालय। वे निर्णय

वे भी चुनौती के दायरे में हैं।

( जोर दिया गया)

इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थेः " 13. निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैंः

ए. क्या डी. एम. सी. अधिनियम के तहत एम. सी. डी. को सील करने की शक्ति है इसके दुरुपयोगकर्ता के मामले में परिसर?

1994 का No.725 दिनांक 31-7-2001 एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

सीलिंग की समान शक्ति है या नहीं? ग. आवासीय संपत्तियों के संबंध में जारी किए जाने वाले निर्देश

अवैध रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

14. इन मामलों में हम केवल दुरुपयोगकर्ता के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

हम अनधिकृत निर्माण के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं।

( जोर दिया गया)

( (ii) यह स्पष्ट है कि इस पर विचार करने के लिए एकमात्र प्रश्न है।

टी अवैध या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसर का दुरुपयोग था।

ओसिस। पैराग्राफ 14 (ऊपर उद्धृत) में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि

अनधिकृत निर्माण के मुद्दे पर विचार न करें। यह न्यायालय

निर्णय के पैरा 33 में आवासीय क्षेत्रों की दुर्दशा का उल्लेख किया गया है।

ई ने आवासीय परिसरों के बड़े पैमाने पर रूपांतरण का उल्लेख किया

नारसियल उपयोग, इस प्रकारः

" 33. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ मास्टर प्लान तैयार करते हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान्स, 1962 और 2001 के अवलोकन से पता चलता है कि

नगर नियोजन के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे - स्वस्थ जीवन, पर्यावरण, फेफड़ों की जगह की आवश्यकता, भूमि उपयोग की तीव्रता,

वे क्षेत्र जहाँ आवासीय घर बनाए जाने हैं और जहाँ वाणिज्यिक भवन स्थित होने चाहिए, घर की आवश्यकता है

उद्योग आदि। आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों के लिए प्रावधान क्षेत्रों का मतलब आवासीय घरों को वाणिज्यिक में बदलना नहीं है

दुकानें। इसका मतलब केवल घरेलू उद्योग की गतिविधियों की अनुमति देना है। आवासीय संपत्ति का एक हिस्सा। इसका मतलब यह नहीं है कि आवासीय

संपत्तियों का उपयोग वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है और

वस्तुओं की बिक्री और खरीद। मास्टर प्लान में दुकानों पर विचार किया गया

जिला केंद्र, सामुदायिक केंद्र, स्थानीय खरीदारी केंद्र आदि। आवासीय क्षेत्रों में नहीं। जो भी हो, वर्तमान के लिए, हम

आवासीय में खोली गई छोटी दुकानों के मामलों पर विचार नहीं कर रहे हैं

रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर, लेकिन विचार कर रहे हैं बड़े पैमाने पर रूपांतरण, कानूनों के घोर उल्लंघन में, आवासीय

वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिसर "।

( जोर दिया गया)

( iii) अदालत ने आगे विचार किया कि किसी को भी अधिकार नहीं है, मानव

मौलिक, प्रतिरक्षा के साथ कानून का उल्लंघन करना और किसी भी अधिकार का दावा करना

प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्माण, इस प्रकारः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 35. विवादित निर्णय में, प्रावधानों पर विचार करते हुए लेआउट योजना के अनुसार, यह देखा गया कि उपयोगकर्ता के लिए प्रावधान

" प्रकृति में केवल नियामक हैं "। उपयोगकर्ता के साथ व्यवहार करते समय,

उच्च न्यायालय ने कहा कि "शक्ति, जिसके द्वारा और जिसके तहत

बुनियादी मानवाधिकार या मौलिक अधिकार जो उन्हें प्रदान किए गए हैं

एक व्यक्ति को ले जाया जाता है, उसे विशेष रूप से एक क़ानून द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

उपयोगकर्ता के प्रावधान नियामक हो सकते हैं लेकिन फिर भी, वे

अनिवार्य और बाध्यकारी हैं। वास्तव में, लगभग सभी योजनाएँ

प्रावधान नियामक हैं। विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन

बड़े पैमाने पर योजनाओं के परिणामस्वरूप केवल स्क्रैप बन सकते हैं

कागज। देश की राजधानी में यही जमीनी हकीकत है। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने का कोई मानवीय या मौलिक अधिकार नहीं है।

प्रतिरक्षा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी इमारत का उपयोग करने के किसी भी अधिकार का दावा करें

अधिकृत से अधिक। इसके अलावा, शब्द "जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

डी. एम. सी. अधिनियम की धारा 331 में "आवश्यकताएं" का कोई परिणाम नहीं है मुद्दे के बिंदु को निर्धारित करने के लिए क्योंकि यहाँ संदर्भ में नहीं है

वर्तमान प्रयोजनों के लिए अन्यथा उपबंध करें। यह प्रदान नहीं करता है कि धारा 345-ए के तहत सीलिंग की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

दुरुपयोगकर्ता के मामले में। धारा 345 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए

ए, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को भी बनाए रखने में असमर्थ हैं कि

धारा 345-ए के तहत कार्रवाई तभी की जा सकती है जब यह मौजूद हो।

धारा 343 के तहत विध्वंस का आदेश या उप-धारा के तहत आदेश

( 1 ) धारा 344। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि कार्रवाई

धारा 345-ए के तहत केवल तभी लिया जा सकता है जब कोई आदेश मौजूद हो।

धारा 343 के तहत विध्वंस, या इसके तहत एक आदेश पारित करने पर धारा 344 की उप-धारा (1), और किसी अन्य आकस्मिकता में नहीं

धारा 345-क के स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाए कि

आदेश दिए जाने से पहले या बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है।

उन प्रावधानों "।

( जोर दिया गया)

( (iv) न्यायालय ने अंततः अन्य के संबंध में निर्देश जारी किए।

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्ति, इस प्रकारः

“ 47. विशेष अवकाश याचिकाओं और सिविल अपीलों में Nos.608-11

2003 चुनौती उच्च न्यायालय के फैसलों को निपटाने के लिए है पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में रिट याचिकाएं।

50. 2003 के सीए No.608 के संबंध में, एम. सी. डी. ने

उत्तरदाताओं, धारा के तहत दिनांकित 1-8-2000 का एक कारण दिखाएँ नोटिस

345 - डी. एम. सी. अधिनियम की धारा 347,343 और 344 के साथ पढ़ा गया जिसमें एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

उस संपत्ति संख्या 39, रिंग रोड, लाजपत नगर III का "जगदीश स्टोर" के नाम और शैली में दुरुपयोग किया जा रहा था। दिनांक 15-9-2000 के जवाब में, अन्य बातों के साथ, यह कहा गया था कि एम. सी. डी. ने स्वयं

किसी विशेष योजना के तहत आवासीय क्षेत्रों में गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति, हालांकि, कोई विवरण दिए बिना या उसके समर्थन में कोई दस्तावेज दाखिल किए बिना। इसके अलावा, हमने विद्वान वकील से पूछा कि

प्रत्यर्थियों को उस भवन के निर्माण की योजना को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए जिसे मंजूरी दी गई हो ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मंजूरी आवासीय संपत्ति या वाणिज्यिक संपत्ति के निर्माण के लिए थी। योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। यह पता लगाने के लिए कि कोई दुरुपयोगकर्ता है या नहीं, सरल तरीकों में से एक स्वीकृत योजना की जांच करना है।

51. इस स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2000 में भेजे गए 28-8 2000 दिनांकित पत्र पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

एम. सी. डी. के आयुक्त, डी. डी. ए. के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने संसद की सलाहकार समिति की गहरी चिंता व्यक्त की अनधिकृत निर्माण के बढ़ते खतरे पर, मामले में विभिन्न प्राधिकरणों के कर्मचारियों की संदिग्ध मिलीभगत और अधिकारियों से कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध करना और सख्त प्रवर्तन के लिए दस उपायों का सुझाव देना। पत्र में

यह नीचे लिखा हैः

" अनुलग्नक आर-1

नहीं। जे-13036/3/96-डी. डी. आई. आई. बी.

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय,

निर्माण भवन, नई दिल्ली।

तारीखः 28-8-2000

को,

1. श्री पी. एस. भटनागर,

मुख्य सचिव,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार,

दिल्ली।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. श्री पी. के. घोष,

दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई. एन. ए, नई दिल्ली।

3. श्री एस. पी. अग्रवाल,

टाउन हॉल, दिल्ली। 4. श्री बी. पी. मिश्रा,

अध्यक्ष,

नई दिल्ली नगरपालिका समिति,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, टाउन हॉल, नई दिल्ली।

विषयः अनाधिकृत अनाधिकृत अतिक्रमण और अवैध दिल्ली में निर्माण

साहब, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण के खतरे पर विचार किया गया है।

भारत सरकार अपने उच्चतम स्तर पर है और इस खतरे को दृढ़ता से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी अवैध निर्माणों/अनधिकृत अतिक्रमणों के खिलाफ और मास्टर प्लान के प्रावधानों के उल्लंघन में भूमि के दुरुपयोग के खिलाफ भी कड़ी और त्वरित कार्रवाई करें।

दिल्ली। निम्नलिखित उपायों को विशेष रूप से सख्ती से लागू करने की आवश्यकता हैः

( i) सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाना चाहिए, नहीं

कॉस्मेटिक रूप से लेकिन पूरी तरह से। ( (ii) विध्वंस की लागत विध्वंस के 15 दिनों के भीतर अवैध बिल्डरों से वसूल की जानी चाहिए। गैर के मामले में

15 दिनों के भीतर भुगतान, देय राशि की वसूली की जानी चाहिए

भूमि राजस्व के बकाया के रूप में।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

( iii) अवैध निर्माण के सभी मामलों में, बिल्डरों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास अधिनियम, नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम आदि के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों/अदालतों के साथ मामलों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

( iv) जहाँ भी संपत्ति पट्टे पर है, वहाँ पट्टे के समझौते के नियमों और शर्तों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरह के पट्टा समझौते के तहत सबसे कम अनुमेय अवधि के भीतर पुनः प्रवेश। पुनः प्रवेश के बाद, सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके और नुकसान एकत्र करके संपत्ति का भौतिक कब्जा लिया जाना चाहिए।

तुरंत। नुकसान/दुरुपयोग शुल्क की दरें एल एंड डीओ द्वारा अनुसरण किए गए सूत्र के अनुसार समान होनी चाहिए और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित।

( v) डी. डी. ए. फ्लैटों के मामले में, जहां निर्माण स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गए हैं, आवंटन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

अतिरिक्त निर्माण के विध्वंस के अलावा किया जाना चाहिए। माफ करने योग्य और गैर-माफ करने योग्य वस्तुओं के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

( vi) ऐसे मामलों में, जहां विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण किया जाता है, प्रभारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

( vii) ऐसे मामलों में जहां ग्रामीण कृषि भूमि पर अवैध निर्माण हुए हैं, निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगीः

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 को भी लिया जाना चाहिए और ऐसी भूमि को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिया जाना चाहिए। जैसे ही उपनिवेशवादियों द्वारा भूखंडों को काटा जाता है और चारदीवारी आदि के आकार में निर्माण किया जाता है, इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, निर्माण को शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर यह ऊपर आता है, तो यह होना चाहिए तुरंत ध्वस्त कर दिया। लेआउट/सेवा योजनाओं आदि से संबंधित उप-कानूनों के अनुसार संबंधित स्थानीय एजेंसियों/डी. डी. ए. द्वारा भी इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए।

( viii) उन सभी मामलों में जहां पक्ष स्थगन/यथास्थिति के आदेश प्राप्त करता है, स्थगन आदेश को खाली करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

जहां भी आवश्यक हो, ले जाया गया और उच्च न्यायालय चला गया।

( ix) सभी वरिष्ठ फील्ड अधिकारियों को ले जाने के लिए कहा जाना चाहिए।

उनके प्रभार के तहत क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण और

पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए औचक जाँच भी करनी चाहिए

कि अधीनस्थ कर्मचारी जाँच करने के लिए तत्काल कार्रवाई करता है /

अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करना। निवारक कार्रवाई होनी चाहिए

निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता आदि जो ऐसा करते हैं शीघ्र कार्रवाई न करें।

( x) फील्ड अधिकारियों को फील्ड डायरी रखने के लिए कहा जाना चाहिए।

और उन्हें नियमित रूप से पर्यवेक्षी अधिकारी को प्रस्तुत करें।

2. यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक आने वाले महीने की 5 तारीख तक शहरी विकास मंत्रालय को एक मासिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। 3. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि संसद और संसद सलाहकार समिति दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है,

दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों के बढ़ते खतरे और मामले में विभिन्न अधिकारियों के कर्मचारियों की संदिग्ध मिलीभगत पर सवाल और हस्तक्षेप के माध्यम से। मंत्रालय में एक उड़ान दस्ते का गठन किया गया है और यदि, निष्कर्षों के परिणामस्वरूप

इस दस्ते में, यह पाया जाता है कि अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है या उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है, अधीनस्थ/पर्यवेक्षी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आपकी वफादारी से,

एस. डी. /

( डॉ. निवेदिता पी. हरन)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि बनाएँ:

1. उप सी. वी. ओ., यू. डी. और पी. ए. मंत्रालय,

निर्माण भवन, नई दिल्ली। 2. एल एंड डी ओ, यू डी एंड पी ए मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

3. महानिदेशक (डब्ल्यू), सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

एसडी /

( एन. एल. उपाध्याय)

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

53. अब, हम कार्यान्वयन के कार्य पर लौटते हैं। इसके बावजूद

कठिनाई यह है कि यह न्यायालय मूक दर्शक नहीं रह सकता जब

उल्लंघन पर्यावरण और कानून के स्वस्थ जीवन को भी प्रभावित करता है।

पालन करते हैं। समस्या की विशालता जो काफी हद तक है

अधिकारियों का स्वयं करना, इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआत चीजों को ठीक करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। अगर सब कुछ

दुरुपयोगकर्ता को एक समय पर रोका नहीं जा सकता है क्योंकि व्यापक प्रकृति, तो इसे चरणबद्ध तरीके से रोकना होगा,

प्रमुख उल्लंघनकर्ताओं के साथ शुरुआत करें। इसे करने के लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए। हम. इससे पहले पिछले आदेशों को संक्षेप में नोट किया है।

अधिकारीगण। चीजों को इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमेशा के लिए। एक तरफ विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, मास्टर प्लान बनाए जाते हैं।

विशेषज्ञ योजनाकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में भी प्रावधान किया गया है -

मौजूदा अनधिकृत निर्माणों की समस्या से निपटना और दूसरी ओर, दुरुपयोगकर्ता और इस तरह की अवैध गतिविधियाँ जारी रहती हैं।

कानून और अन्य नागरिकों के लिए सम्मान और सम्मान। हमने गौर किया है। इस प्रकार के संबंध में कुछ निवासियों की शिकायतों के ऊपर

अवैध कार्य। पिछले कई वर्षों से उच्च न्यायालय ने भी

बड़ी संख्या में दिए गए आदेशों में इसी तरह की पीड़ा व्यक्त की जा रही है

मामलों में। हम उनमें से कुछ आदेशों को संक्षेप में देख सकते हैं।

( जोर दिया गया)

( v) अदालत ने संपत्ति के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया और आगे

दुरुपयोग के संबंध में पैरा 61 में वेद इस प्रकार हैः

" 61. कानून पारित करने और उच्च न्यायालय के बार-बार आदेशों के बावजूद

न्यायालय और यह न्यायालय, कानूनों का प्रवर्तन और

आदेशों के कार्यान्वयन में पूरी तरह से कमी है। अगर कानून

लागू नहीं किया गया और अदालतों के आदेशों को लागू करने और लागू करने के लिए

कानूनों की उपेक्षा की जाती है, परिणाम केवल पूरी तरह से अराजकता हो सकती है। यह है, इसलिए, इसकी पहचान करना और उचित कार्रवाई करना भी आवश्यक है

इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ। इस तरह का निर्लज्ज

बड़े पैमाने पर संपत्तियों का दुरुपयोग इसके बिना नहीं हो सकता है। संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत। यह भी एक स्रोत है

भ्रष्टाचार। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कार्रवाई आवश्यक है।

जिन संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, उनके मालिक भी निहित हैं कठिनाई, असुविधा, पीड़ा के प्रति जिम्मेदारी [2020] 10 एस. सी. आर.

जिससे इलाके के निवासियों को चोटें आईं और तीसरे पक्ष को चोटें आईं।

इसलिए, यह न केवल दुरुपयोगकर्ता को रोकने का सवाल है, बल्कि

चूक पर मालिकों को चोटों के लिए जवाबदेह भी बनाना

दूसरों के कारण। इसी तरह गलती करने वालों की भी जवाबदेही होगी।

अधिकारियों के साथ-साथ, प्रथम दृष्टया, इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोगकर्ता,

कानून का उल्लंघन, सक्रिय मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है अधिकारियों से। यह अधिकारियों को दिखाना होगा कि क्या प्रभावी है

दुरुपयोगकर्ता को रोकने के लिए कदम उठाए गए।

( vi) अंततः, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है, जबकि

निगरानी समिति का गठनः

" 69. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि एम. सी. डी. के आयुक्त के पास इसके तहत शक्ति है

इसके दुरुपयोगकर्ता के मामले में परिसर को सील करने के लिए डी. एम. सी. अधिनियम, हम जारी करते हैं

आवासीय को सील करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देशों का पालन करना

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे परिसरः

1. एम. सी. डी. 10 दिनों के भीतर व्यापक प्रचार करेगी

प्रमुख समाचार पत्रों ने मुख्य सड़कों पर बड़े उल्लंघनों का निर्देश दिया (कुछ

इस तरह के उल्लंघनकर्ताओं और सड़कों के उदाहरण दर्ज किए गए हैं।

इससे पहले) की अवधि के भीतर, अपने दम पर दुरुपयोगकर्ता को रोकने के लिए

30 दिन होते हैं।

2. फाइल करना मालिक/अधिभोगियों की जिम्मेदारी होगी।

30 दिनों के भीतर एम. सी. डी. के आयुक्त के साथ एक शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि

कि दुरुपयोगकर्ता को रोक दिया गया है।

3. यदि दुरुपयोगकर्ता को रोका नहीं जाता है, तो परिसर को सील कर दिया जाता है।

सार्वजनिक सूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद शुरू होगा, पहले

80 फीट चौड़ी और उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर उल्लंघन करना। सभी अधिकारियों को पूरी सहायता और सहयोग देने का निर्देश दिया जाता है।

सार्वजनिक सूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, बिजली

और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी।

4. सड़कों और उल्लंघनों का विवरण भी रखा जाएगा।

एम. सी. डी. द्वारा वेबसाइट पर और प्रतियां निवासी कल्याण को भी भेजी गईं क्षेत्र के संघ जो इसमें शामिल होने चाहिए

प्र

क्रिया

दुरुपयोगकर्ता को सील करना। एम. सी. डी. के आयुक्त एक फाइल करेंगे

शपथ पत्र, दो सप्ताह के भीतर, में निहित निर्देशों के संदर्भ में

यह निर्णय, जिसके बाद संविधान के लिए निर्देश

निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। सीलिंग होगी

एम. सी. डी. के आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रभावित

निगरानी समिति के परामर्श से।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

5. के खिलाफ कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए उचित निर्देश

दुरुपयोग और भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी

उनके द्वारा और उल्लंघनकर्ताओं द्वारा मुआवजे के बाद जारी किया जाएगा

दुरुपयोगकर्ता को रोक दिया जाता है।

6. मुहरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। किसी भी तरह की छेड़छाड़

सील से सख्ती से निपटा जाएगा। मुहर के साथ छेड़छाड़ में शामिल होंगे

परिसर के उपयोग के लिए एक और प्रवेश द्वार खोलना।

7. यह मालिक/अधिभोगकर्ता के लिए संपर्क करने के लिए खुला होगा

यह वचन देने पर मुहर हटाने के लिए आयुक्त परिसर को केवल अधिकृत उपयोग के लिए रखा जाएगा।

8. उन मामलों का विवरण जहां उल्लंघनकर्ताओं ने प्राप्त किया होगा

एम. सी. डी. द्वारा इस न्यायालय में स्थगन के आदेश दायर किए जाएंगे।

9. एम. सी. डी. की गई कार्रवाई के बारे में मासिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

10-4-2006 से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक।

10. यदि दुरुपयोगकर्ता को संबंधित परिसर में नहीं रोका जाता है

दीवानी अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं में, जिसके अधीन है इस फैसले में कहा गया है कि एम. सी. डी. सील करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी

30 दिनों की समाप्ति के तुरंत बाद वे परिसर।

( जोर दिया गया)

यह उपरोक्त दिनांकित 16.2.2006 आदेश से स्पष्ट है।

मेहता बनाम। भारत संघ (ऊपर) कि इस न्यायालय ने अनधिकृत रूप से नोट किया

तोड़ दिया लेकिन एक संयम रखने के लिए निगरानी समिति नियुक्त की

ई अनधिकृत/वाणिज्यिक के लिए आवासीय परिसर का दुरुपयोग

से। दिनांक 16.2.2006 के आदेश के अनुसार, निगरानी समिति

24.3.2006 पर बनाया गया।

20. अदालत ने फिर जोर देकर कहा कि उसके आदेश को लागू किया जाना चाहिए

एम. सी. मेहता बनाम के मामले में एक पत्र और भावना। भारत संघ ने (2006) में 3 एस. सी. सी. 429 को 24.3.2006 पर पारित कियाः

" 4. कानून के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए, अर्थात्,

पत्र और भावना के संदर्भ में उल्लंघनकारी परिसरों को सील करना

इस न्यायालय के निर्देश, एक निगरानी नियुक्त करना आवश्यक है

एमसीडी। तदनुसार, हम एक निगरानी समिति नियुक्त करते हैं श्री के. जे. राव, चुनाव के पूर्व सलाहकार

आयुक्त, श्री भूरे लाल, अध्यक्ष, ई. पी. सी. ए. और मेजर [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनरल (सेवानिवृत्त) सोम झिंगन। हम निर्देश देते हैं कि सभी आवश्यक सुविधाएं

एम. सी. डी. द्वारा निगरानी के सदस्यों को आपूर्ति की जाएगी

परिवहन, सचिवीय सेवाओं की सुविधा सहित समिति,

मानदेय आदि।

9. आई. ए. Nos.1921,1922 और 1923 तीन लोगों द्वारा दायर किए गए हैं।

जबकि आई. ए. Nos.1918-19 एक द्वारा दायर किए गए हैं

व्यक्तिगत व्यवसाय घर। आई. ए. सं. 1919 के आवेदक ने आवेदन किया है। दुरुपयोगकर्ता को रोकने के लिए इस न्यायालय को एक वचन देते हुए एक शपथ पत्र

इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर। दाखिल किए गए आवेदन संघों की ओर से कहा गया है कि इस न्यायालय की स्थिति में

समय देते हुए, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि समय का लाभ दिया जाए केवल उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत शपथ पत्र और वचन पत्र दाखिल करते हैं

न्यायालय ने पहले ही सीमा, प्रकृति और परिमाण की ओर इशारा किया है विभिन्न कानूनों का उल्लंघन। जो भी हो, हम नहीं देते हैं

केवल आवेदक संघों या उनके सदस्यों के लिए लेकिन दूसरों के लिए

इसके अलावा, गलत इस्तेमाल करने वाले को 30-6-2006 तक रोकने का समय आ गया है, बशर्ते कि हर

ऐसे लाभ का दावा करने वाला व्यक्ति जो शपथ पत्र दाखिल करता है जिसमें कहा गया है कि (1)

या 30-6-2006 से पहले, दुरुपयोगकर्ता को रोक दिया जाएगा और आगे नहीं किसी भी आधार पर विस्तार जो कुछ भी मांगा जाएगा, (2) देना

इस आशय का वचन कि न करने की शर्त का उल्लंघन दुरुपयोगकर्ता को 30-6-2006 से रोकने से वह

अदालत से। यह लाभ केवल फाइल करने वालों को ही मिलेगा। 28-3-2006 पर या उससे पहले एम. सी. डी. के साथ शपथ पत्र।

( जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश दिया

पिछले आदेश के साथ समन्वय का अर्थ है कि आवासीय परिसर /

रिया का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में

निगरानी समिति के प्रतिवेदनों में निगरानी समिति की 'शीर्षक' रिपोर्ट, मुहर लगाना शामिल था।आवासीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

प्रतिज्ञाएँ "।

21. रिपोर्ट संख्या 8 में, निगरानी समिति ने शराब की सूचना दी

आवासीय क्षेत्रों में स्थित सुविधाजनक/स्थानीय खरीदारी केंद्रों में हॉप्स

और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ। इस अदालत ने एक आदेश पारित किया

8.10.2006 रिपोर्ट संख्या 8 के संबंध में इस प्रकारः

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

" I.A.No.1983:

उपरोक्त I.A.No.1980 में पारित आदेश को देखते हुए, यह आवेदन

एस को हटा दिया गया।

निगरानी समिति की रिपोर्ट संख्या 8:

हमने निगरानी समिति की 8 वीं रिपोर्ट का अध्ययन किया है।

1 17 अक्टूबर, 2006।

रिपोर्ट के पैरा 1 में निहित सिफारिश, सिवाय इसके कि

तीन पंक्तियाँ स्वीकार की जाती हैं। उक्त तीन पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:

" इसके अलावा, निगरानी समिति द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि

ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों में भी दुकानों को अनुमति दी जाएगी।

माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 29.09.2006 "।

विद्वान महान्यायवादी, निर्देशों पर कहते हैं कि

सरकार छोटी दुकानों को अनुमति देने पर विचार नहीं कर रही है। श्रेणी ए और बी के उपनिवेश. स्टैंड के इस दृष्टिकोण में, उपरोक्त उद्धृत सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।

सीलिंग से संबंधित रिपोर्ट के पैरा 4 के संबंध में

में स्थित सुविधाजनक/स्थानीय खरीदारी केंद्रों में शराब की दुकानें

आवासीय क्षेत्रों में हमें शराब को सीधे सील करने का कोई आधार नहीं मिलता है

दुकानें। सुविधाजनक/स्थानीय खरीदारी केंद्र आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित वाणिज्यिक क्षेत्रों में हैं और शराब के व्यापार के लिए कोई कानूनी बाधा प्रतीत नहीं होती है।

उक्त वाणिज्यिक क्षेत्र। हालांकि, पहली मंजिल से मिश्रित भूमि उपयोग में शराब के व्यापार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

आगे केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने की उम्मीद है

और इस प्रकार ऐसे आवासीय क्षेत्रों में शराब के व्यापार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जारी रखें। के पैरा 4 में सिफारिश का यह भाग

रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

पेशेवरों के संबंध में 5 और 6 सिफारिशों के बारे में

गतिविधियों और तहखाने का संबंध है, विद्वान सॉलिसिटर

आम तौर पर कहा गया है कि चूंकि मामला सरकार के विचाराधीन है, इसलिए वर्तमान में इसके संबंध में सीलिंग जारी नहीं रखी जा सकती है। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि इन मामलों पर निर्णय लेने में लगभग छह सप्ताह लगेंगे। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 29 सितंबर, 2006 के हमारे आदेश के पैरा 21 (वी) (ई) में, उदाहरणात्मक उद्देश्य के लिए, केवल चार व्यवसायों का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह है - स्पष्ट करें कि अन्य व्यवसायों को बाहर नहीं रखा गया है।

' पेशेवरों को इस शब्द के उपयोग से समावेशी बनाया गया है।

' 'सहित। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में सीलिंग की आवश्यकता नहीं है

के पैरा 5 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों के संबंध में जारी रखें।

निगरानी समिति की रिपोर्ट।

विलयन के संबंध में सिफारिश, में निहित है

7 रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया जाता है।

पैरा

दिल्ली नगर निगम को अपनी याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया है।

द्वारा जो कहा गया है, उसके संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट/प्रतिक्रिया पैरा 8 में निगरानी समिति, अर्थात्, बड़ी संख्या में

इमारत का तहखाना, निचला तहखाना, भूतल + चार मंजिल

बिल्डिंग बाय कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए सामने आया है।

ऊपर बताए गए समय को देखते हुए,

मामला नवंबर, 2006 के बजाय अब फरवरी में सूचीबद्ध किया जाए। 2007 .

निगरानी समिति को इसकी प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है

विद्वान सॉलिसिटर जनरल और विद्वान वकील को इसकी प्रत्येक रिपोर्ट

दिल्ली नगर निगम के लिए "।

( जोर दिया गया)

रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह दुरुपयोग के संबंध में था

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय परिसर और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण।

22. 15.11.2006 पर, इस न्यायालय ने राशन की दुकानों और साइकिल को छूट दी

सीलिंग से आवासीय परिसरों में चल रही मरम्मत की दुकानें। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग के संबंध में रिपोर्ट No.12 पर विचार किया गया था।

23. इस न्यायालय ने 23.11.2006 पर आगे का आदेश पारित किया, जो था

परिसर के दुरुपयोग के संबंध में भी। इस आशय के उपक्रम दायर किए गए थे कि उन्होंने आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों को रोक दिया है। दिनांकित 23.11.2006 आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" हम इसके बाद जो नोट करते हैं, उसके अधीन, ऐसे व्यक्ति जिनके पास है

उपरोक्त अधिसूचनाएँ-विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और परिस्थितियों को अस्थायी रूप से उपक्रमों और एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम से मुक्त कर दिया जाता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

29 सितंबर, 2006 के आदेश के निर्देश संख्या 3 द्वारा कवर किए गए अन्य के बराबर रखा गया। उक्त निर्देश संख्या 3 में निर्धारित शर्तें ऐसे व्यापारियों/पेशेवरों पर लागू होंगी। वर्तमान आदेश 29 सितंबर, 2006,18 अक्टूबर, 2006,6 नवंबर, 2006 और 15 नवंबर, 2006 को पारित आदेशों की निरंतरता में है।

हालांकि, अनुलग्नक में उल्लिखित चौंतीस प्रतिष्ठान

' ए 'उपरोक्त रियायत का हकदार नहीं होगा। निगरानी समिति विज्ञापन का सत्यापन कर सकती है यदि उन्होंने वाणिज्यिक गतिविधि बंद नहीं की है, तो परिसर को सील कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके द्वारा वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की जाती है।

***

***

***

पैराग्राफ (4) में, यह देखा गया है कि, एक आश्चर्य पर

गतिविधि चल रही थी लेकिन नई व्यावसायिक गतिविधि शुरू हो सकती है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, जहां अभी तक वाणिज्यिक गतिविधि शुरू नहीं हुई है, इमारत पर भवन योजनाओं के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। निर्देश मांगे गए हैं कि दिल्ली नगर निगम को जारी करने के लिए कहा जाए सार्वजनिक सूचना कि पहले भवन योजनाओं को मंजूरी दिए बिना किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि/नई वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी

आवासीय उद्देश्यों के लिए स्वीकृत की अनुमति दी जा सकती है और उल्लंघन पाए जाने पर, उचित कार्रवाई करना संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त का व्यक्तिगत दायित्व होगा। नगरपालिका में संबंधित अधिकारियों को सूचित करना संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व भी होगा। दिल्ली निगम। यदि, इसके बावजूद, वाणिज्यिक गतिविधि देखी जाती है, तो इन अधिकारियों को परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल कागज पर निर्माण योजनाओं के उल्लंघन के लिए एक इमारत की बुकिंग करना पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुआ है। वहाँ हैं।

हजारों इमारतें जिन्हें नगरपालिका [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा बुक किया गया है।

दिल्ली निगम पिछले कुछ वर्षों में बिना किसी कार्रवाई के केवल कागज पर। दिल्ली नगर निगम, जैसा कि

पैराग्राफ (4) में सुझाए गए सुझाव पर परामर्श करके सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। निगरानी समिति के साथ "।

आदेश से यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट और आदेश वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसर के दुरुपयोग से संबंधित थे।

24. दिनांकित 12.2.2007 आदेश को रोकने के संबंध में था

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कहने पर निगरानी समिति द्वारा अगले आदेश तक सीलिंग। यह केवल एम. पी. डी.-2021 के अंतर्गत आने वाले परिसरों के संबंध में संचालित होना था, न कि उन परिसरों के लिए जो मास्टर प्लान के अंतर्गत नहीं आते थे। 12.2.2007 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

डी. डी. ए. अगले आदेश तक चालू रहेगा। यह आदेश केवल उन परिसरों के संबंध में लागू होगा जो इसके दायरे में आते हैं। मास्टर प्लान, 2021 द्वारा और उन लोगों के लिए नहीं जो मास्टर प्लान में शामिल नहीं हैं। ... .....

25. 9.3.2007 का आदेश दिनांकित 12.2.2007 के आदेश का पालन करने के लिए पारित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा 9.3.2007 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" हमने निगरानी समिति की रिपोर्ट No.31 का अध्ययन किया है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे दिनांकित 12.2.2007 आदेश को उसके तार्किक अंत तक पूरा किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि सभी अधिकारी

संबंधित हमारे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 9.3.2007 के आदेश से यह स्पष्ट है कि आदेश उक्त रिपोर्ट के अनुरूप है, और रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यह वाणिज्यिक गतिविधियों और मिश्रित भूमि उपयोग के लिए था। निगरानी समिति ने स्वयं आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के उस हिस्से को सील करने की अनुमति मांगी, जो एमपीडी-2021 के दायरे में नहीं आया था। इस प्रकार, एम. पी. डी. 2021 के आधार पर जो भ्रम पैदा करने की मांग की गई है, वह बिल्कुल अनुचित है। दिनांकित 10.4.2007 आदेश निगरानी समिति द्वारा सीलिंग को रोकने वाला एक अंतरिम आदेश है। इस न्यायालय ने निगरानी समिति को आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही आवासीय संपत्तियों को सील करने के लिए अधिकृत नहीं किया। निगरानी समिति के प्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए इस आदेश की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

26. आई. ए. No.22 पर, इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 10.4.2007 के आदेश में रिपोर्ट No.34 पर विचार किया, जिसकी सामग्री निम्नलिखित आदेशों द्वारा रखी गई हैः

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

" हम यह जानकर हैरान हैं कि हमारे पहले के आदेशों के बावजूद, उनके द्वारा पूरी तरह से असहयोग की भावना प्रदर्शित की गई है।

एम. सी. डी. और पुलिस अधिकारी। निगरानी की रिपोर्ट

समिति से पता चलता है कि 03.04.2007,04.04.2007 और 09.04.2007 पर, पुलिस अधिकारियों ने अनधिकृत परिसरों को सील करने के मामले में सहयोग नहीं किया।

दिल्ली पुलिस आयुक्त और संबंधित को जाने दें।

क्षेत्र के पुलिस अधिकारी इससे पहले 11.04.2007 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं।

इस न्यायालय के आदेशों को किन परिस्थितियों में लागू नहीं किया गया था और सीलिंग के मामले में असहयोग किया गया था, इसका संकेत देते हुए न्यायालय और शपथ पत्र दाखिल करें। जहाँ तक आयुक्त, एम. सी. डी. का संबंध है, वही स्थिति होगी।

मामला कल सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी इसके लिए 11.04.2007

केवल उद्देश्य।

इन मामलों को 07.05.2007 पर सूचीबद्ध किया जाएगा। उस तारीख से पहले,

विद्वान सॉलिसिटर जनरल इस अवधि के दौरान समय सारिणी का संकेत देंगे।

जिसे विभिन्न अवसंरचनात्मक कमियों द्वारा इंगित किया गया है

न्यायमित्र-क्यूरी की देखभाल किए जाने की उम्मीद है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोहराएँ कि वे क्षेत्र जो मास्टर प्लान में शामिल नहीं हैं

सीलिंग संचालन से मुक्त नहीं हैं। केवल वे क्षेत्र और निर्माण जो प्रथम दृष्टया मास्टर प्लान द्वारा कवर किए गए हैं, उन्हें सीलिंग संचालन से बाहर रखा जाएगा।

निगरानी समिति की रिपोर्ट No.34 रखी जाएगी।

एक सीलबंद आवरण।

निगरानी समिति की उक्त रिपोर्ट की प्रतियां

केवल एम. सी. डी., दिल्ली पुलिस के विद्वान वकील को दिया जाता है और

विद्वान महान्यायवादी।

लर्न ए. सी. द्वारा प्रस्तुत किए गए चार्ट को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, जिसकी मुकदमेबाजी में रुचि है, मामले में अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे केवल विद्वान न्यायमित्र के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।

क्यूरी। आवश्यक जानकारी और सामग्री दी जाए

एमिकस-क्यूरी सीखी।

डी. डी. ए. का जवाब भी दाखिल किया जाएगा जो

रिकॉर्ड में लिया जाए "। रिपोर्ट No.34 विशुद्ध रूप से उपयोग किए जाने वाले परिसरों के बारे में नहीं थी

अन्तर्निहित उद्देश्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. इस न्यायालय ने 3.1.2012 पर एक आदेश पारित किया, जिसे आगे निकाला गया है:

" श्री रंजीत कुमार को सुनने के बाद, रिपोर्ट No.85 और संबंधित मुद्दों पर न्यायमित्र के रूप में जाना और प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार करना सीखा।

अन्य विद्वान वकीलों द्वारा, हम संसद द्वारा अधिनियमित कानून की वैधता और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाले मुख्य मामले की सुनवाई करना उचित समझते हैं।

मामले को 13.3.2012 पर सूचीबद्ध करें। उम्मीद की जा रही है कि उस दिन

स्थगन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। जब तक अदालत द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जाती, तब तक निगरानी समिति परिसर को और सील करने का आदेश नहीं देगी।

इसकी जांच की जा रही है।

हम यह भी निर्देश देते हैं कि कोई भी निर्माण, अस्थायी या

स्थायी, उन परिसरों पर बनाया जाएगा जो निगरानी समिति की जांच का विषय रहे हैं और कोई आदेश नहीं होगा

सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाए जो इस तरह के नियमों को नियमित करता है।

उपयोगकर्ता के परिवर्तन का निर्माण या मंजूरी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका

दिल्ली निगम और नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि

यह सुनिश्चित करना कि किसी भी सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण न किया जाए, चाहे वह सरकार की हो या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की। वे करेंगे।

यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है।

निगरानी समिति। निगरानी समिति को उस परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसमें कोई अवैध निर्माण किया गया हो।

इस आदेश या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अतिक्रमण या नियमितीकरण के बाद और यदि आवश्यक हो, तो इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निगरानी समिति की किसी भी रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति निगरानी समिति को आवेदन कर सकता है।

समिति और आवश्यक रिपोर्ट आवेदक को प्रस्तुत की जाए।

सामान्य शुल्कों के भुगतान पर दस दिनों की अवधि के भीतर।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पक्ष आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके लिए निगरानी समिति के समक्ष उपयुक्त आवेदन

विचार और उचित आदेश।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

आई. ए. Nos.2518-2521

श्री एम. एन. कृष्णमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता

आवेदकों का कहना है कि विकास को देखते हुए जो

न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद हुए हैं, आवेदन निष्फल हो गए हैं और उनका निपटान किया जा सकता है

इस तरह।

विद्वान वरिष्ठ वकील, आई. ए. के बयान को ध्यान में रखते हुए

Nos.2518-2521 को निष्फल के रूप में निपटाया जाता है। हम आशा और विश्वास करते हैं

कि निगरानी समिति द्वारा पारित आदेश होगा

जल्द से जल्द लागू किया जाए "।

( जोर दिया गया)

यह आदेश दिया गया था कि निगरानी समिति आगे कुछ नहीं करेगी।

परिसर का एनजी, जो इसकी जांच के दायरे में है। कोई निर्माण नहीं,

मौखिक या स्थायी, उठाया जाएगा, जो विषय वस्तु है

निगरानी समिति की कठोरता। कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा

अधिस्थगन या ऐसे निर्माण या मंजूरी को नियमित करने वाला कोई प्राधिकरण

सर का परिवर्तन।

28. दुरुपयोग/दुरुपयोग के संबंध में 30.04.2013 दिनांकित आदेश पारित किया गया था।

आवासीय परिसर का उपयोग इस प्रकार करनाः

“ 3. के दुरुपयोग/गैर-अनुरूप उपयोग के संबंध में निर्णय

आवासीय परिसर, और आई. ए. में उत्पन्न होने वाले परिसर को सील करने की शक्ति

दिल्ली (इसके बाद 'एम. सी. डी.' के रूप में संदर्भित) जो एक दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक फैसले से फैसला सुनाया

दिनांकित 16.2.2006 और के रूप में रिपोर्ट किया गया है, "एम. सी. मेहता बनाम। संघ का

भारत, (2006) 3 एस. सी. सी. 399 "। अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि एम. सी. डी. शर्तों में गैर-अनुरूप उपयोगकर्ता के लिए परिसर को सील करने की शक्ति थी

एम. सी. डी. अधिनियम की धारा 345 ए और विभिन्न निर्देश थे

4. ये मामले गैर-अनुरूप उपयोगकर्ता के मामले से संबंधित हैं के निर्णय के बाद, परिसर, और उस पर पारित आदेश

16.2.2006 , संसद द्वारा बनाए गए विशेष प्रावधानों के तहत

दिल्ली में, मास्टर प्लान के विभिन्न प्रावधान जो कुछ याचिकाकर्ताओं के अनुसार त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि

भौतिक और सामाजिक अवसंरचना की अनुपलब्धता। "[2020] 10 एस. सी. आर.

इसके अलावा, इस न्यायालय ने निगरानी समिति के अधिकार या दायरे और उस उद्देश्य के संबंध में अवलोकन किया जिसके लिए निगरानी समिति का गठन इस प्रकार किया गया थाः

" 8. ( i) जैसा कि ऊपर देखा गया है, हमने अपने दिनांक 24.3.2006 के आदेश द्वारा एस. पी. ई. सी. की जांच के लिए निगरानी समिति नियुक्त की थी।

परिसर की सीलिंग, जो गैर-अनुरूप उपयोगकर्ता के लिए रखी जा रही थी। निगरानी समिति ने उन परिसरों को सील करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ, बड़ी संख्या में आवेदकों ने

अदालत से संपर्क किया (रिट याचिकाएं दायर करके जो थीं

आई. ए. में परिवर्तित, या आई. ए. दाखिल करके) डीसीलिंग के लिए प्रार्थना करना। उक्त सभी आई. ए. अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। हम उक्त आई. ए. में भी उचित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं।

29. 6.12.2017 पर, इस न्यायालय ने 2017 के IA Nos.93010 और 93007 पर अपने आदेश सुरक्षित रख लिए, जिनका निर्णय 15.12.2017 पर किया गया था। क्रम में

दिनांक 6.12.2007, इस न्यायालय ने इस संबंध में मामले पर विचार किया अनधिकृत कॉलोनियाँ, जो 12.4.2016 और 30.10.2017 की रिपोर्टों के अनुसार आई थीं। आदेश में यह देखा गया कि निगरानी समिति की शक्ति को बहाल किया जाए। जबकि आदेश 2017 के आई. ए. No.93010 और 93007 पर उपरोक्त तिथि पर आरक्षित किया गया था, प्रासंगिक भाग निकाला गया हैः

" 1. आक्रमणकारियों ने सैकड़ों वर्षों से दिल्ली को लूटा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसके अपने नागरिकों और राजधानी शहर को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा इसे तबाह किया जा रहा है- हम औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अनधिकृत निर्माण और आवासीय परिसरों के दुरुपयोग का उल्लेख करते हैं। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में इन अवैध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है और समय-समय पर शहरी जीवन में कुछ विवेक लाने की कोशिश करने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसका बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे सामने अनुप्रयोग, घटनाओं का कालक्रम और इन अनुप्रयोगों तक पहुंचने वाले ऐतिहासिक विकास

हमारे संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ मुद्दों पर विचार करने और निर्णय लेने का कारण दिया है।

3. एम. सी. मेहता, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, पहले ही एक लंबित रिट याचिका में दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए एक उपाय खोजने के लिए एक आवेदन के साथ इस अदालत का रुख कर चुके थे। हालाँकि उन्होंने कई राहतों की मांग की, लेकिन इस न्यायालय ने पहले आवासीय क्षेत्रों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

औद्योगिक उद्देश्यों और बाद में, अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवासीय परिसरों का दुरुपयोग। वर्तमान में, हम एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम से संबंधित हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवासीय परिसरों का दुरुपयोग। ये मुद्दे पहली बार तब सामने आए जब इस न्यायालय द्वारा 30 सितंबर, 2002 और 19 अगस्त, 2003 को उनके आवेदन पर प्रारंभिक आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद, इस न्यायालय ने एक निर्णय द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे आवासीय क्षेत्रों के मुद्दे को संबोधित किया

और एम. सी. मेहता बनाम में 7 मई, 2004 का आदेश। भारत संघ। 2.

***

***

***

10. 7 मई, 2004 को दिल्ली में अनधिकृत औद्योगिक गतिविधि से संबंधित आदेश पारित करने और एक स्थापित करने के लिए मजबूर होने के बाद

निगरानी समिति, इस न्यायालय ने दिल्ली के नागरिकों के सामने एक और समस्या, अर्थात् वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एम. सी. मेहता में 16 फरवरी, 2006 के निर्णय में, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 53 में उल्लेख किया कि जब कानून का उल्लंघन पर्यावरण और कानून का पालन करने वालों के स्वस्थ जीवन को प्रभावित करता है तो वह मूक दर्शक नहीं रह सकता है। यह कहा गया था, और इस न्यायालय का दर्द और पीड़ा बिल्कुल स्पष्ट है:

" अपनी कठिनाई के बावजूद, यह न्यायालय मूक दर्शक नहीं रह सकता है जब उल्लंघन पर्यावरण और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।

कानून का पालन करने वालों का जीवन। समस्या की विशालता, जो काफी हद तक अधिकारियों द्वारा स्वयं की जा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि चीजों को ठीक करने के लिए शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। यदि पूरे दुरुपयोगकर्ता को इसकी व्यापक प्रकृति के कारण एक समय पर रोका नहीं जा सकता है, तो इसे चरणबद्ध तरीके से रोका जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत बड़े उल्लंघनकर्ताओं से होनी चाहिए। वहाँ है

इसे करने के लिए एक इच्छा होना। हम पहले भी पिछले इतने वर्षों में दिए गए आदेशों को संक्षेप में नोट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चीजों को हमेशा के लिए इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक तरफ विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, मास्टर प्लान विशेषज्ञ योजनाकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं, योजनाओं में समस्या से निपटने के लिए भी प्रावधान किया जाता है। मौजूदा अनधिकृत निर्माण और दुरुपयोगकर्ता और दूसरी ओर, इस तरह की अवैध गतिविधियाँ कानून और अन्य नागरिकों के लिए कोई सम्मान और सम्मान किए बिना, सभी की नज़रों में खुले तौर पर चलती हैं। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

11. इस न्यायालय ने कहा कि यदि कानूनों को लागू नहीं किया जाता है और कानूनों को लागू करने के न्यायालयों के आदेशों की अनदेखी की जाती है, तो परिणाम केवल पूरी तरह से अराजकता हो सकती है। 16 तारीख को दिए गए निर्णय में

फरवरी, 2006 में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से और परोक्ष रूप से नहीं कहा कि दिल्ली में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्तियों का इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता था और इसलिए यह आवश्यक था कि -

भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और नागरिकों के अधिकारों के प्रति पूर्ण उदासीनता को रोकने के लिए कार्रवाई करें-और हम अराजकता और आपदा को जोड़ सकते हैं। इस न्यायालय ने कहा कि न केवल कानून का उल्लंघन करने वालों की बल्कि उन दोषी अधिकारियों की भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग पर आंखें मूंद लेते हैं

उद्देश्य। रिपोर्ट के पैराग्राफ 61 में यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" (दिल्ली) उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के कानूनों और बार-बार आदेशों के पारित होने के बावजूद, कानूनों के प्रवर्तन और आदेशों के कार्यान्वयन में पूरी तरह से कमी है। यदि कानूनों को लागू नहीं किया जाता है और कानूनों को लागू करने और लागू करने के अदालतों के आदेशों की अनदेखी की जाती है, तो परिणाम केवल पूरी तरह से अराजकता हो सकती है। इसलिए इसकी पहचान करना भी आवश्यक है। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। बड़े पैमाने पर संपत्तियों का ऐसा खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग

अधिकारियों की मिलीभगत के बिना पैमाना नहीं बनाया जा सकता है।

चिंतित हैं। यह भ्रष्टाचार का भी एक स्रोत है। इसलिए, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और नागरिकों के अधिकारों के प्रति पूर्ण उदासीनता को रोकने के लिए भी कार्रवाई आवश्यक है। जिन संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, उनके मालिकों ने निवासियों को होने वाली कठिनाई, असुविधा, पीड़ा के प्रति भी जिम्मेदारी निहित की है।

स्थान और तीसरे पक्ष को चोटें। इसलिए, यह न केवल दुरुपयोगकर्ता को रोकने का सवाल है, बल्कि दूसरों को हुई चोटों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से मालिकों को जवाबदेह बनाने का भी सवाल है। गलती करने वाले अधिकारियों की भी इसी तरह की जवाबदेही होगी क्योंकि प्रथम दृष्टया, इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोगकर्ता, कानूनों का उल्लंघन करते हुए, अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। यह अधिकारियों को दिखाना होगा कि दुरुपयोगकर्ता को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए थे। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (संक्षेप में एम. सी. डी.) को प्रमुख समाचार पत्रों में इस आवश्यकता का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया कि जो लोग अपने आवासीय एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम का दुरुपयोग कर रहे हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए परिसर पर दुरुपयोग बंद होना चाहिए अपनी खुद की। यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद, और यदि दुरुपयोग बंद नहीं किया जाता है, तो परिसर को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 30 दिनों की अवधि समाप्त हो गई

29 मार्च, 2006 को या उसके आसपास।

13. दुर्भाग्य से, सार्वजनिक नोटिस जारी करने का कानून का उल्लंघन करने वालों या कानून के शासन को लागू करने की उम्मीद रखने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा, इसका कारण दिल्ली के नागरिकों की मिलीभगत, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अधिकारों के प्रति पूर्ण उदासीनता थी-जो आज दशकों से की जा रही अवैधताओं का खामियाजा भुगत रहे हैं।

14. इस स्थिति का सामना करते हुए, 24 मार्च, 2006 के अपने निर्णय में एम. सी. मेहता बनाम. भारत संघ 3 इस न्यायालय ने कहा कि

एम. सी. डी. ने उचित नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसकी निगरानी के लिए

वाणिज्यिक (गैर-औद्योगिक) उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आवासीय परिसरों के संबंध में कानून का कार्यान्वयन, उल्लंघन करने वाले परिसरों को सील करना उचित होगा। इसलिए एम. सी. डी. के अधिकारियों पर कोई विवेकाधिकार छोड़ने के बजाय (स्पष्ट कारणों से) एक निगरानी समिति नियुक्त की गई जिसमें श्री के. जे. राव, चुनाव आयुक्त के पूर्व सलाहकार, श्री भूरे लाल, अध्यक्ष, ई. पी. सी. ए. और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शामिल थे। सोम झिंगन। निगरानी समिति के सदस्यों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं

एम. सी. डी. द्वारा परिवहन, सचिवीय सेवाओं, मानदेय आदि की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

***

***

***

29. 30 अप्रैल, 2013 को इस न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय और आदेश पारित किया। भारत संघ। 4 यह निर्णय अधिनियम और उसके बाद अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करने वाले विधानों को चुनौती देने से संबंधित था। कुछ निर्देश जारी किए गए थे लेकिन उनमें से दो का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता हैः ( i) दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006 (और उसके बाद के कानूनों को वस्तुतः अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करने) और उससे जुड़े आई. ए. को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय को एक अनुरोध के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था कि मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, अधिमानतः पूरे रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर और

(c) 1985 का No.4677

कागजात। ( (ii) इस न्यायालय द्वारा 3 जनवरी, 2012 को पारित आदेश।

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ 3 निम्नलिखित प्रभाव से

जारी रखेंः

" जब तक अदालत द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जाती, तब तक निगरानी समिति उस परिसर को और सील करने का आदेश नहीं देगी जो उसकी जांच के दायरे में है। हम यह भी निर्देश देते हैं कि जिन परिसरों का निर्माण किया गया है, उन पर कोई भी निर्माण, अस्थायी या स्थायी नहीं किया जाएगा। निगरानी समिति की जांच का विषय और सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा इस तरह के निर्माण को नियमित करने या उपयोगकर्ता के परिवर्तन को मंजूरी देने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। "

34. हमें ऐसा लगता है कि आवेदक आवासीय उद्देश्यों के लिए विचाराधीन परिसर का उपयोग करने के इच्छुक हैं, जैसा कि उनके आवेदन में कहा गया है। विचाराधीन परिसर का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करने का कोई स्पष्ट इरादा नहीं है जिसकी कानून द्वारा अनुमति नहीं है। वह पद होने के कारण, यह शायद ही किसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा यदि

आवेदकों को औपचारिक रूप से अपील दायर करने की आवश्यकता होती है

35. जहाँ तक अनंत ज्ञान प्रणालियों की बात है, हमारी राय में संबंधित निम्नलिखित शर्तें न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेंगी और आवासीय के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करेंगी।

वाणिज्यिक (गैर-औद्योगिक) उद्देश्यों के लिए परिसरः

( 1 ) आवेदक निगरानी समिति के समक्ष एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि वे विचाराधीन परिसर का उपयोग करेंगे।

केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए और बिना किसी अन्य उद्देश्य के

जो भी हो। आवेदक उन व्यक्तियों की पहचान करेंगे जिनके आवासीय उपयोग के लिए विचाराधीन परिसर को जब्त करने की मांग की गई है। किसी भी बदलाव को निगरानी को सूचित किया जाएगा। समिति।

( 2 ) आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र में उस व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण होंगे जो विचाराधीन परिसर के किसी भी दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार, अर्थात,

2 ) 11 एस. सी. सी. 759 एम. सी. एम. एच. टी. ए बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विचाराधीन परिसर के उपयोग के लिए

आवासीय।

( 3 ) उपरोक्त शर्त संख्या 2 के संदर्भ में जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पहचाना गया व्यक्ति भी एक हलफनामा दायर करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि विचाराधीन परिसर

इनका उपयोग केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परिसर का उपयोग इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। आवासीय, प्रतिनिधि इस अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा

अदालत।

( 4 ) आवेदक वैधानिक प्राधिकरण को रूपांतरण शुल्क के भुगतान का प्रमाण निगरानी समिति के पास दाखिल करेंगे।

( 5 ) शपथ पत्र निगरानी समिति के समक्ष दायर किए जाएंगे जो ऐसी अन्य शर्तें लागू कर सकते हैं जो हो सकती हैं -

उचित है।

निगरानी समिति के कहने पर किसी भी वाणिज्यिक (औद्योगिक के अलावा) उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सांविधिक अपीलीय न्यायाधिकरण। इसके बजाय, वह व्यक्ति राहत के लिए सीधे निगरानी समिति से संपर्क कर सकता है।

निगरानी समिति के पास रुपये की राशि जमा करना जो उसके द्वारा प्राप्त राशि का लेखा रखेगी। कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही उपयुक्त वैधानिक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर चुका है, लेकिन पसंद करेगा निगरानी समिति से संपर्क करना अपील को वापस ले सकता है और उपरोक्त नियमों और शर्तों पर राहत के लिए निगरानी समिति से संपर्क कर सकता है और रुपये जमा कर सकता है। 1,00,000 / - निगरानी समिति के साथ लागत के रूप में, बशर्ते कि परिसर को सील कर दिया गया था [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगरानी समिति के कहने पर। कोई भी चुनौती निगरानी समिति का निर्णय केवल इस न्यायालय पर निर्भर करेगा। हम मामले के इतिहास और कुछ संस्थाओं के बीच एक स्पष्ट सांठगांठ की इस न्यायालय की गंभीर टिप्पणियों को देखते हुए यह आदेश देने के लिए विवश और मजबूर हैं।

भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के बारे में अवलोकन। 38. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश इसके लाभ के लिए होगा

केवल वे जो आवासीय परिसर का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए कर रहे हैं

39. दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित की गई रिट याचिकाओं के संबंध में, जो अधिनियम और उसके बाद के कानूनों को चुनौती देती हैं, हम दिल्ली की वेबसाइट के अवलोकन से पाते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर अभी तक किसी न किसी कारण से सुनवाई नहीं हुई है। हम दिल्ली उच्च न्यायालय में कोई गलती नहीं पाते हैं। रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने में इस न्यायालय का इरादा

दिल्ली उच्च न्यायालय को उनके त्वरित निपटान के लिए था

अधिमानतः एक वर्ष के भीतर। लगभग चार साल बीत गए हैं। यह अभ्यास लेकिन बिना किसी निर्णय के। इसलिए, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जैसा कि निगरानी की रिपोर्ट से पता चला है

समिति, हम यह उचित समझते हैं कि इस न्यायालय को शीघ्रता से रिट याचिकाओं की सुनवाई करनी चाहिए और तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय को इस न्यायालय में स्थानांतरित की गई रिट याचिकाओं को वापस लेना चाहिए। रजिस्ट्री 12 जनवरी, 2018 को निर्देश के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्ति पर इन रिट याचिकाओं को रखेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निगरानी समिति को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग पर गौर करना था।परीक्षण) या कोई गैर-आवासीय उद्देश्य।

30. इसके द्वारा पारित एक और आदेश दिनांकित 24.4.2018 है।

, इस प्रकारः

" हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान न्याय मित्र के साथ-साथ विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (श्री नाडकर्णी), डी. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (श्री मनिंदर सिंह) और भारत सरकार की ओर से विद्वान वकील को सुना है। दिल्ली और अन्य निकाय।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

श्री के. सी. नाइक, सदस्य सचिव और केंद्रीय भूजल बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष उपस्थित हैं। वह रहा है।

वर्ष 2000 से हर पांच साल में दिल्ली में 20 बिंदुओं में भूजल स्तर की स्थिति देने का अनुरोध किया गया।

वर्ष 2017/2018 के लिए ताकि हम यह समझने की स्थिति में हों कि क्या भूजल में कमी आई है और किस क्षेत्र में और किस हद तक। यह एक चार्ट के साथ-साथ एक योजना/ग्राफ/मानचित्र के रूप में किया जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि इस न्यायालय द्वारा 27 अगस्त, 2007 को एक आदेश पारित किया गया था।

जिसे रिपोर्ट No.114 में इस प्रभाव के लिए उद्धृत किया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण किया जा रहा है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इमारत और अन्य उपनियम इन अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कॉलोनियों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखा जाता है। इस न्यायालय द्वारा 27 अगस्त, 2007 के आदेश में दर्ज किया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों को इससे बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।

इस स्थिति को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि सार्वजनिक सहित अनधिकृत कॉलोनियों में आगे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए मौजूदा भवन और अन्य उपनियमों से परे भूमि। नतीजतन, अनधिकृत कॉलोनियों में सभी निर्माण और निर्माण गतिविधि

सार्वजनिक भूमि को शामिल करने पर मौजूदा भवन और अधिकृत कॉलोनियों पर लागू अन्य उपनियमों के अलावा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। संबंधित अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

निर्माण हटा दिए जाते हैं। अपर महान्यायवादी (श्री नाडकर्णी) द्वारा सुझाए गए कार्यबल का तत्काल प्रभाव से गठन किया जा सकता है।

पहले कदम के रूप में, कार्य बल को हटाना चाहिए

सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक सड़कों और पैदल चलने वालों की सड़कों पर अतिक्रमण, जैसा कि 18 अप्रैल, 2018 के एक संशोधित नोट में श्री नाडकर्णी द्वारा प्रस्तुत तत्काल कार्रवाई में उल्लेख किया गया है। आवश्यक कार्य आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम यह स्पष्ट करते हैं कि निगरानी समिति कर सकती है कार्यबल को उन क्षेत्रों का सुझाव दें जहां तत्काल कार्रवाई की जाए लेने की जरूरत है।

यह विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (श्री. मनिंदर सिंह) कि लगभग 27.02 एकड़ सार्वजनिक भूमि दी गई है। 1 अप्रैल से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया, 2018. इसके विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। एक शपथपत्र सार्वजनिक भूमि के 27.02 एकड़ का पूरा विवरण देते हुए दाखिल किया जाना चाहिए जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में ले लिया है अनधिकृत अतिक्रमणों से।

15 मई, 2018 को मामले को सूचीबद्ध करें।

( जोर दिया गया)

31. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में ओरेंडम दिनांकित 25.4.2018 जारी किया गया था, जो सम्मान के साथ नहीं थाई निगरानी समिति को शक्तियों का प्रदान करना, लेकिन अल टास्क फोर्स। संबंधित भाग यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" माननीय सर्वोच्च के निर्देशों का पालन करते हुए 15.5.2018 पर आयोजित सुनवाई में इरादे के रूप में योजना प्रस्तुत की गई थी और सभी चल रहे/भविष्य के अनधिकृत लोगों की जाँच करने की प्रतिबद्धता अनधिकृत लोगों की विशिष्ट शिकायतों का निर्माण, जांच भाग में निर्माण और उस पर और खरपतवार के लिए कार्रवाई करना विकास के कामकाज में कदाचार और भ्रष्टाचार को दूर करना। और समग्र पर्यवेक्षण के तहत नगर निकायों और द्वारा गठित विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का समन्वय ओम दिनांकित 25-4-2018।

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना कि आगे कोई अवैध कार्य न हो

निर्माण/अनियमितता भविष्य में होती है

दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली जैसे स्थानीय निकाय नगर परिषद, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली

नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ए अधिकारियों का ग्रिड तैयार कर लिया गया है। इस ग्रिड में शामिल होंगे

संबंधित कार्यपालक एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों के संबंधित क्षेत्रों के इंजीनियर/समकक्ष अधिकारी, जिन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।

भविष्य में एमपीडी-2021, डीएमसी अधिनियम, 1957 और बिल्डिंग बाय कानूनों के सभी अनियमित और अनधिकृत निर्माणों/उल्लंघनों के लिए। ग्रिड में शामिल अधिकारियों की सूची संलग्न की गई है जिसे आम जनता की जानकारी के लिए अलग से बनाई जा रही वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसके द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। समय-समय पर संबंधित वैधानिक प्राधिकारी, यदि किसी का स्थानांतरण या परिवर्तन किया जाता है।

32. यह स्पष्ट है कि निगरानी समिति को अनधिकृत कॉलोनियों और विशेष कार्य बल की देखभाल करने के लिए अधिकृत किया गया था सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय ने रिपोर्ट No.114 पर विचार किया और इस तरह कुछ आदेश पारित किए। 2018 की रिपोर्ट No.114 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है। इस प्रकार, इस न्यायालय का आदेश सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के रूप में रिपोर्ट में उल्लिखित अनधिकृत कॉलोनियों और वाणिज्यिक गतिविधियों तक ही सीमित था।

33. दिनांकित 8.5.2018 आदेश भूजल के संबंध में है।

स्तर, विचाराधीन मामले से संबंधित नहीं। दिनांकित 15.5.2018 आदेश केंद्र सरकार के संबंध में सुनवाई और निर्णय लेने के लिए है

डी. डी. ए. अधिनियम 1957 के तहत गठित मास्टर प्लान और विशेष कार्य बल के बारे में आपत्तियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जारी रखने का आदेश दिया गया था और महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना को विशेष कार्य बल द्वारा लागू किया जाना था, न कि निगरानी समिति द्वारा।

34. दिनांक 24.5.2018 के आदेश में, इस न्यायालय ने वैधानिक अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। के संबंध में अवैध और अनधिकृत संरचनाओं, निगरानी समिति को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" 14. हम उल्लेख कर सकते हैं कि यह दर्ज किया गया है कि दिल्ली को अनधिकृत अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों से दंडित किया जा रहा है और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित कोई भी नागरिक प्राधिकरण ईमानदारी से अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा करने के लिए सांविधिक प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता दर्दनाक है। दुर्भाग्य से, स्थिति [2020] 10 एस. सी. आर.

दिल्ली में नागरिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण इस तरह के निर्देश की आवश्यकता थी।

बुराड़ी, विश्वास नगर (ईडीएमसी), किशनगढ़, दक्षिण क्षेत्र (एसडीएमसी) में, कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन (ईडीएमसी) में डीडीए भूमि और एसडीएमसी के भट्टी खान क्षेत्र का अतिक्रमण। 36. दिनांकित 7.9.2018 आदेश का भी उल्लेख किया गया है जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को नोट किया गया है। :

" 2. निगरानी समिति की कार्यप्रणाली

यह कहा गया है कि निगरानी समिति इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण या

दिल्ली में संपत्ति का दुरुपयोग, लेकिन निगरानी समिति को निष्पादन एजेंसियों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है, अर्थात्

एम. सी. डी., एन. डी. एम. सी., डी. डी. ए. और पुलिस। इसलिए, इस परिणाम के साथ मौजूदा बाधाएं हैं कि निगरानी समिति इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पूरी तरह से पालन करने में सक्षम नहीं है।

हम निगरानी समिति से अपने कठिन कार्य को जारी रखने का अनुरोध करते हैं और हम वैधानिक निकायों (उल्लिखित) से अपेक्षा करते हैं।

ऊपर) के साथ-साथ पुलिस निगरानी समिति को अपने कार्य को पूरा करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे। यदि कोई विशिष्ट शिकायतें हैं, तो इन्हें ध्यान में लाया जाना चाहिए

यह न्यायालय जैसा कि अतीत में किया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निगरानी समिति द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई किसी भी शिकायत पर विचार किया जाएगा

पूरी गंभीरता के साथ "।

इस न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि निगरानी समिति अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण या संपत्ति के दुरुपयोग को हटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह सार्वजनिक भूमि और अनधिकृत कॉलोनियों पर अतिक्रमण से संबंधित है, और किसी भी समय इस न्यायालय ने निगरानी समिति को आवासीय परिसरों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं किया है जो निजी भूमि पर खड़े थे और जिनका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा था। उपरोक्त टिप्पणियां समिति के प्राधिकरण के संबंध में नहीं हैं, लेकिन होनी चाहिए

उस उद्देश्य के संदर्भ में पढ़ें जिसके लिए निगरानी समिति एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम।

नियुक्त किया गया था। आदेश में की गई उपरोक्त टिप्पणियों से निगरानी समिति की शक्ति का विस्तार नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने कई आदेशों में विशेष रूप से शक्ति और निगरानी समिति के उद्देश्य से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया।

नियुक्त किया गया।

37. विद्वान न्यायमित्र ने दिनांकित आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया

12.10.2018 , जिसमें इस न्यायालय ने केवल यह मत व्यक्त किया कि निगरानी समिति को अपनी गतिविधियों और जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आदेश यहाँ उद्धृत किया गया हैः

" कार्यालय की रिपोर्ट बताती है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र

श्री अजय कुमार सिंह को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। आरोप है कि अवमानकर्ता को रजिस्ट्री में अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करना चाहिए।

इस संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र के समक्ष दाखिल किया जाए

सुनवाई की अगली तारीख।

30 अक्टूबर, 2018 को मामले को सूचीबद्ध करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन कार्यवाहियों की विचाराधीनता

निगरानी समिति या किसी अन्य प्राधिकरण को बाधित नहीं करना चाहिए।

अपनी गतिविधियों और जिम्मेदारियों को पूरा करने से।

कथित अवमानकर्ता को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।

सुनवाई की अगली तारीख।

( जोर दिया गया)

38. दिनांकित 5.12.2018 आदेश में, अदालत ने सम्मान के साथ बताया

विशेष कार्य बल द्वारा प्राप्त बड़ी संख्या में शिकायतों और सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणों को हटाने के लिए, इस प्रकारः

" 1. श्री तरुण कपूर, डी. डी. ए. के उपाध्यक्ष और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अध्यक्ष अदालत में मौजूद हैं।

आज।

विद्वान ए. एस. जी. उनसे निर्देश लेने पर कहते हैं कि

जबकि यह सही है कि नियमित रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पाक्षिक रिपोर्ट अब से जारी की जाएगी। एस. टी. एफ. द्वारा बिना किसी असफलता के दाखिल किया जाए।

यह आगे कहा गया है कि एसटीएफ को बहुत बड़ी राशि मिली है।

शिकायतों की संख्या 7000 से अधिक हो गई है। इन सभी शिकायतों से निपटना मुश्किल है। अब तक लगभग 3,400

शिकायतों का निपटारा किया गया है।

बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री कपूर ने कहा है कि

15 दिनों के भीतर या किसी भी अवधि में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

31.12.2018 से पहले का मामला।

हम उम्मीद करते हैं कि एसटीएफ इन सभी से तेजी से निपटेगा।

शिकायतें करें और जहां भी आवश्यक हो उचित कार्रवाई करें। यह

समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

हम ध्यान दे सकते हैं कि यह तथ्य कि एस. टी. एफ. को 7000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, समस्या की गंभीरता को इंगित करता है -

दिल्ली में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण। 2. इस पर की गई कार्रवाइयों की एक समेकित रिपोर्ट

10,71,838 वर्ग मीटर तक ऊँचा। अस्थायी संरचनाओं के तहत क्षेत्र जिसे अतिक्रमण से हटा दिया गया है वह 16,99,858 वर्ग मीटर है। इसके अलावा, दोनों तरफ लगभग 3,202 वर्ग मीटर सड़कों/सड़कों/फुटपाथ को साफ कर दिया गया है। यह गंभीर समस्याओं की पुष्टि करता है। अनधिकृत निर्माण के कारण दिल्ली का सामना करना पड़ रहा है और

अतिक्रमण और समस्या का परिमाण।

3. एस. टी. एफ. के निर्देशों के तहत नगर निगमों द्वारा पुनः प्राप्त की गई भूमि की भारी मात्रा को देखते हुए, भूमि का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि कोई नुकसान न हो।

एक बार फिर उस पर अतिक्रमण।

चूंकि नगर निगमों के आयुक्त हैं

एसटीएफ के हिस्से के रूप में, हम एसटीएफ से इस मामले को पूरी गंभीरता से देखने और अनधिकृत लोगों से कब्जा/पुनर्प्राप्त की गई भूमि की रक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता होगी।

अतिक्रमण। कहने की जरूरत नहीं है, इसमें सड़कें भी शामिल हैं /

सड़क/फुटपाथ जिन्हें एसटीएफ द्वारा साफ किया गया है

नगर निगमों की सहायता "।

39. विद्वान न्यायमित्र ने 14.1.2019 दिनांकित आदेश पर भरोसा किया। द.

चींटी के हिस्से को नीचे निकाला गया हैः

... ..... निगरानी समिति ने उपायुक्त, नजफगढ़ क्षेत्र, एस. डी. एम. सी. के साथ एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के पीछे के क्षेत्र का निरीक्षण किया।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

सेक्टर 7 द्वारका उप-शहर 30.10.2018 पर और समामेलित भूखंडों में बड़े अनधिकृत निर्माणों को देखा जिसमें विशाल

शोरूम, रेस्तरां, जिम आदि चालू पाए गए।

उपायुक्त, नजफगढ़ जोन, एस. डी. एम. सी. थे सभी उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत कारणदर्शक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया

अनधिकृत निर्माण और दुरुपयोग के संबंध में।

एस. डी. एम. सी. को यह समझाने दें कि उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है।

अनधिकृत लोगों के लिए डी. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई

निर्माण और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केवल राजस्व विभाग, जिला मजिस्ट्रेट और एस. डी. एम. को ही क्यों दी जानी चाहिए। आवश्यक कार्य आज से तीन सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

राजस्व विभाग को भी अनधिकृत निर्माणों पर की गई कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट करने दें।

समिति द्वारा की गई टिप्पणियाँ और द्वारका उप-शहर के सेक्टर 7 में निहित भूखंडों के संबंध में जारी किए गए निर्देश। .....

यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.1.2019 के आदेश में, इस न्यायालय ने कहा है कि शोरूम, रेस्तरां, जिम का निर्माण जिसके लिए किया गया था

वाणिज्यिक उद्देश्य "और इसके संबंध में नोटिस जारी किया गया था

अधिकृत निर्माण और आवासीय क्षेत्र का दुरुपयोग "।40. विद्वान न्यायमित्र ने 1994 के 31.7.2001 पारित रिट याचिका (C) No.27 के आदेश का उल्लेख किया। संबंधित भाग निकाला जाता है।

इंदौरः

" 52. ..... हलफनामों के अवलोकन से आगे पता चलता है कि जहां तक अनधिकृत निर्माणों के विध्वंस का संबंध है, संबंधित पक्षों ने हिमशैल के सिरे को भी नहीं छुआ है। यह संख्या अनाधिकृत निर्माण जिनके बारे में कहा जाता है कि

ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता का एक छोटा सा हिस्सा है। यह स्पष्ट है कि अब कानून के कम से कम उन व्यक्तियों को पकड़ने का कोई डर नहीं है जो संपत्ति के निर्माण के संबंध में निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने में विश्वास नहीं करते हैं। हलफनामों के अनुसार भी अनधिकृत अतिक्रमण और अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है यदि लोगों में मुख्य रूप से कानून का पालन न करने के कारण कानून के प्रति सम्मान या डर नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हमें कुछ चिंता का कारण बनता है और यह उचित होगा यदि गंभीरता से विचार किया जाए

इस पहलू को उच्च तिमाहियों में दिया गया है।

0 ] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53 ..... एक ओर विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, मास्टर प्लान विशेषज्ञ योजनाकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं, योजनाओं में मौजूदा अनधिकृत निर्माणों की समस्याओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किया जाता है और

दुरुपयोगकर्ता और दूसरी ओर, ऐसी अवैध गतिविधियाँ चलती रहती हैं। कानून और अन्य नागरिकों के लिए कोई सम्मान और सम्मान किए बिना, सभी की नज़रों के नीचे खुले तौर पर।

61 .

. कानून पारित करने और बार-बार आदेश देने के बावजूद

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में कानूनों के प्रवर्तन और आदेशों के कार्यान्वयन की पूरी तरह से कमी है। यदि कानून को लागू नहीं किया जाता है और कानूनों को लागू करने और लागू करने के अदालतों के आदेशों की अनदेखी की जाती है, तो परिणाम केवल पूरी तरह से अराजकता हो सकती है। इसलिए इसकी पहचान करना और उचित कार्रवाई करना भी आवश्यक है।

इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ। इस तरह का निर्लज्ज संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के बिना बड़े पैमाने पर संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यह भ्रष्टाचार का भी एक स्रोत है।

41. इस मामले में (2004) 6 एस. सी. सी. 588 में दिए गए आदेश में, इस न्यायालय ने अवैध उद्योग को नियमित करने के प्रश्न पर विचार किया।

दिल्ली के आवासीय गैर-अनुरूप क्षेत्रों में मास्टर प्लान और औद्योगिक गतिविधियों के उल्लंघन के संदर्भ में गतिविधियाँ। स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक संतुलन की पुष्टि न करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने या स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। निर्णय शक्ति के संबंध में प्रासंगिक नहीं है और

कार्य करने के लिए निगरानी समिति का अधिकार।

42. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि इससे पहले इस न्यायालय ने

इसी मामले ने (2013) 16 एस. सी. सी. 336 में एक आदेश पारित किया जिसके तहत सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय को भेजा गया। चूंकि उच्च न्यायालय में, प्रगति धीमी थी, बाद में, दिनांक 15.12.2017 के आदेश के अनुसार,

इस न्यायालय ने सभी मामलों को इस न्यायालय में वापस बुला लिया।

43. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतिक्रमण का मामला चिंता का विषय है, लेकिन निगरानी समिति चार कोनों के भीतर काम कर सकती है

इसे प्रदत्त शक्तियों और उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए न्यायालय ने निगरानी समिति नियुक्त की। यह अपनी शक्तियों को पार नहीं कर सकता है और अदालत द्वारा अपने प्राधिकरण से परे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

44. हम विद्वान न्यायमित्र और सीलिंग से संबंधित अन्य विद्वान सलाहकार द्वारा संदर्भित विभिन्न रिपोर्टों को देख चुके हैं।

वे निम्नलिखित स्थिति को दर्शाते हैं:

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

रिपोर्ट नं. 1

45. निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 1 दिनांक 13.4.2006 को पैरा 1 के तहत लिखा गया है, जिसे नीचे निकाला गया हैः

" निगरानी की प्रारंभिक रिपोर्ट

1. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2006 के अपने आदेश के माध्यम से एक निगरानी समिति नियुक्त की थी। राव, चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार, श्री. भूरे लाल, अध्यक्ष, E.P.C.A और मेजर। जनरल (सेवानिवृत्त) सोम झिंगन,

कीर्ति चक्र, वी. एस. एम. वाणिज्यिक सीलिंग की निगरानी करेंगे

दिल्ली में आवासीय परिसरों में प्रतिष्ठान। दिल्ली नगर निगम (एम. सी. डी.) ने सदस्यों को सूचित किया था कि

निगरानी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्ति

2830 मार्च, 2006। एस. भूरे लाल और एस. के. जे. राव ने 29 मार्च 2006 को पदभार संभाला और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।

एमसीडी "।

रिपोर्ट संख्या 2

46. निगरानी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 2 दिनांक 6.5.2006 में

मिट्टी, जिसका शीर्षक नीचे दिया गया हैः

" निगरानी समिति की रिपोर्ट संख्या 2 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सील करने के लिए

इन रेजिडेंशियल प्रीमिज "

रिपोर्ट वाणिज्यिक सीलिंग के संबंध में है।

आवासीय परिसरों में लिशमेंट्स। 80 फीट की सड़कों के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे। व्यापक और उससे अधिक, रूपांतरण शुल्क, क्षेत्रीय योजनाओं, पार्किंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाली क्षेत्रीय इकाइयों और भोज का मिश्रित भूमि उपयोग भुगतान।

रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश निम्नलिखित हैः

" निष्कर्षण सारांश

20. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निगरानी समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश करती है

कृपया निर्देशन करने पर विचार करें:

ए। एम. सी. डी. लाभार्थियों से वसूली करेगी, जहां मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति दी गई है, परिसर के मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति देने वाली अधिसूचना की तारीख से ब्याज के साथ रूपांतरण और पार्किंग शुल्क।

1992 में एम. सी. डी. द्वारा तय किया गया रूपांतरण शुल्क।

बी। एम. सी. डी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिश्रित भूमि उपयोग सड़कों के लाभार्थियों द्वारा अग्रिम बाधाओं को सरेंडर किया जाए, जैसा कि निर्धारित किया गया है

मास्टर प्लान 2001 का खंड 8 (4)।

सी। एम. सी. डी. 80 फीट और उससे अधिक चौड़ी चिन्हित सड़कों के संबंध में सीलिंग कार्यों को पूरा करेगी और उसके बाद 60 फीट चौड़ी सड़कों के संबंध में सीलिंग कार्यों को शुरू करेगी। & ऊपर एक सार्वजनिक सूचना देने के बाद, जैसा कि 80 फीट चौड़ी और उससे अधिक की सड़कों के मामले में किया गया है। डी। शहरी विकास मंत्रालय-सरकार। भारत सरकार ने पहले से तैयार और लंबित क्षेत्रीय योजनाओं के मसौदे को मंजूरी दी और अधिसूचित किया

शेष नौ क्षेत्रों के संबंध में डी. डी. ए. के साथ, जहां मिश्रित भूमि उपयोग वाली सड़कों की पहचान पहले ही की जा चुकी है, जिसके लिए 15 दिनों से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सर्वेक्षण और मसौदा क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी के संबंध में कार्य

मास्टर प्लान 221 के अनुसार जारी रह सकता है।

ई. शहरी विकास मंत्रालय-सरकार। भारत सरकार सुझावों के आधार पर 28 मार्च 2006 की अपनी अधिसूचना में संशोधन करेगी

समिति द्वारा उपरोक्त पैरा 17,18 और 19 में दिया गया है।

एफ. सरकार. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि

पार्किंग नीति का कार्यान्वयन "।

रिपोर्ट नं. 3 47. रिपोर्ट संख्या 3 दिनांकित 23.5.2006 फिर से सील करने के लिए है

आवासीय परिसर में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान "। अपने परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में इसका महत्व है। इसमें कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006 का भी संदर्भ है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की डी-सीलिंग के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

रिपोर्ट सं. 4

48. रिपोर्ट संख्या 4 दिनांकित 24.5.2006 फिर से रिपोर्ट के रूप में शीर्षक है रिपोर्ट "वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों" के बारे में एम. सी. मेहता बनाम के रूप में है।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

49. बिस्ट्रो गाँव हौज खास में स्थित है। पैरा 17 में, यह उल्लेख किया गया है कि यह एक शहरी गाँव है जहाँ क्षेत्र के लिए अनुमत भूमि उपयोग आवासीय है, और गाँव के भीतर किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह देखा गया कि गाँव का एक बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक गतिविधियों से भरा हुआ है, भले ही हौज खाज गाँव में किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं थी, जो एक आवासीय क्षेत्र है। रिपोर्ट में मधु विहार जैसी अनधिकृत कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है, जहां एक सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि " आवासीय परिसर में वाणिज्यिक उपयोग "। यह भी उल्लेख किया गया कि सार्वजनिक भूमि पर स्मारक का अतिक्रमण है।

रिपोर्ट सं. 5

50. रिपोर्ट संख्या 1 के रूप में रिपोर्ट संख्या 5 दिनांकित 20.9.2006 शीर्षक, निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः

" 9. अनधिकृत कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधि

अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि-मधु विहारः अपनी रिपोर्ट संख्या 4 में, निगरानी समिति ने नियमित होने तक कई अनधिकृत कॉलोनियों में अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया। उक्त रिपोर्ट में मधु विहार और न्यू अशोक नगर के उदाहरण दिए गए थे। उक्त रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'ई' के रूप में संलग्न तस्वीरें स्पष्ट रूप से मधु विहार में 80 'और उससे अधिक की सड़कों पर भी अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियों की सीमा को दर्शाती हैं। निगरानी समिति ने 19 सितंबर 2006 को मधु विहार का दौरा किया और देखा कि पूरी कॉलोनी में वाणिज्यिक गतिविधियों को लगभग रोक दिया गया है और उन स्थानों को आवासीय घरों में बदलने के लिए व्यस्त गतिविधियाँ चल रही हैं।

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरे वाणिज्यिक क्षेत्र की फिर से तस्वीरें ली गई हैं। 19 सितंबर 2006 को ली गई तस्वीरें संलग्न हैं। 7 सितंबर, 2006 की विकास अधिसूचना, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने 15 सितंबर, 2006 की अधिसूचना No.149 के माध्यम से ऐसी सड़कों/हिस्सों (संख्या इंगित नहीं) को अधिसूचित किया था। यह भी कहा गया है कि भारत सरकार और एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने डी. डी. ए. अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के तहत अधिसूचनाएं लागू की हैं और वे वैध और संवैधानिक हैं। एम. सी. डी. आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि "उपरोक्त अधिसूचनाओं से पहले जो गलत उपयोगकर्ता था, उसे वर्तमान समय में गलत उपयोगकर्ता नहीं कहा जा सकता है।

अधिसूचनाएँ। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है गलत उपयोगकर्ता के मामले में एम. सी. डी. सीलिंग कार्रवाई करेगी। इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचनाओं के बाद जिस हद तक गलत उपयोगकर्ता जारी रहता है, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सील कर दिया जाएगा। एम. सी. डी. के आयुक्त के नोट की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इसे अनुलग्नक 'सी' के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. चूंकि एम. सी. डी. के आयुक्त के नोट में 15 सितंबर, 2006 को निर्दिष्ट अधिसूचना संख्या 149 18 सितंबर, 2006 को सुबह 11 बजे तक निगरानी समिति को प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए इसकी एक प्रति के लिए एम. सी. डी. को एक पत्र भेजा गया था। द.

एम. सी. डी. आयुक्त ने निगरानी समिति को सूचित किया कि उन्हें अधिसूचना के केवल पहले आठ पृष्ठ प्राप्त हुए हैं और अधिसूचना का पूरा पाठ 18 सितंबर, 2006 की शाम तक ही उपलब्ध होगा। 15 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की एक प्रति अंततः निगरानी समिति को 19 सितंबर, 2006 को शाम 6 बजे प्राप्त हुई।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 16 सितंबर, 2006 के अपने नोट के माध्यम से सीलिंग संचालन पर एम. सी. डी. द्वारा लिया गया तर्क और रुख 15 सितंबर को उसके द्वारा पहले लिए गए रुख से अलग है। 2006 , निगरानी समिति की बैठक में

आयुक्त और एम. सी. डी. के अन्य अधिकारी, जो कुछ हद तक आश्चर्यजनक है। निगरानी समिति आगे प्रस्तुत करती है कि एम. सी. डी. से प्राप्त सीलिंग कार्यक्रमों के अनुसार, सीलिंग संचालन एम. सी. डी. द्वारा 16 सितंबर, 2006 के अपने नोट में लिए गए रुख के अनुसार किया जा रहा है। तदनुसार, एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

जिन क्षेत्रों/सड़कों को इसके साथ और सामूहिक रूप से अनुलग्नक 'डी' के रूप में चिह्नित किया गया है, उनमें परिचालन किया जा रहा है। तस्वीरों के इन दो सेटों की तुलना से पता चलता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र का चेहरा कितना बदल गया है। निगरानी समिति माननीय न्यायालय के ध्यान में लाती है कि वाणिज्यिक गतिविधि वाली कोई भी इमारत

सार्वजनिक संपत्ति के किसी भी अतिक्रमण के लिए पात्र नहीं है

नियमितकरण। के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का पैरा 1.1 (बी)

सरकार द्वारा बनाई गई अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण। एन. सी. टी. दिल्ली का प्रावधान है कि बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में बाधा डालने वाली कॉलोनियों/कॉलोनियों के कुछ हिस्सों को नियमित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि अपनी रिपोर्ट संख्या 4 में पहले ही उल्लेख किया गया है कि निगरानी समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाया था कि क्षेत्रीय योजना के अनुसार संपूर्ण अतिक्रमण किया गया क्षेत्र सामुदायिक केंद्र, चिकित्सा केंद्र और सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं के रूप में विकास के लिए है। इसके अलावा पैरा 1.1 (डी)

उक्त दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि 50 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को छोड़कर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों के संबंध में कोई नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। डी. डी. ए. ने अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि पर इन उल्लंघनों का संज्ञान नहीं लिया है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, निगरानी समिति अपनी सिफारिशों को दोहराती है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय डी. डी. ए. को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देगा

सभी कॉलोनियों में अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियों वाली ऐसी सभी इमारतों को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई।

दिल्ली "। रिपोर्ट संख्या 6

51. निगरानी समिति द्वारा दिनांकित आई. डी. 1 की रिपोर्ट संख्या 6 में, सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः

निषिद्ध गतिविधियों के संबंध में सड़क-से-सड़क आधार के बजाय बुद्धिमानी आवासीय क्षेत्रों में, एम. सी. डी. ने विभिन्न क्षेत्रों की सीलिंग टीमों को एक समय में किसी विशेष कॉलोनी में काम पूरा किए बिना क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों के कुछ हिस्सों में सीलिंग करने के विपरीत आदेश जारी किए थे। इसके कारण और तर्क

के निर्देशों के अनुरूप नहीं बदली गई कार्रवाई

निगरानी समिति ज्ञात नहीं है। "[2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिपोर्ट संख्या 7

52. रिपोर्ट संख्या 7 दिनांकित 27.9.2006 में शीर्षक रिपोर्ट संख्या 1 के समान है, निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः

" 1. निगरानी समिति ने अपनी रिपोर्ट संख्या 4 में एक छोटी सी दुकान की धारणा की सिफारिश की है, जिसमें 19 वाणिज्यिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। निगरानी समिति ने अनजाने में निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़ दिया है जिन पर कृपया उक्त सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता हैः

ए। केबल टीवी/डी. टी. एच. संचालन;

बी। होजरी/तैयार किए गए कपड़े/कपड़े की दुकानें;

सी। एटीएम;

1.1 निगरानी समिति आगे सिफारिश करती है कि माननीय न्यायालय कृपया एक तारीख तय करने पर विचार कर सकता है जिसके पहले छोटी दुकानों के मालिकों को रूपांतरण शुल्क जमा करने और भवन योजना प्राप्त करने के बाद खुद को पंजीकृत करना चाहिए।

2. इसी तरह, माननीय न्यायालय कृपया एक तारीख तय करने पर विचार कर सकता है जिसके पहले मिश्रित भूमि उपयोग के तहत दुकानों के मालिक / वाणिज्यिक उपयोग रूपांतरण शुल्क जमा करने और भवन योजनाओं को संशोधित करने के बाद खुद को पंजीकृत करें।

रिपोर्ट संख्या 8

53. रिपोर्ट संख्या 8 दिनांकित 17.10.2006 में 'कैप्शन' रिपोर्ट संख्या 1 के समान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक

दिल्ली के पुलिस आयुक्त और अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग कार्यक्रम।

रिपोर्ट NO.16

54. रिपोर्ट No.16 दिनांक 23.11.2006 रिंग रोड के किलोखरी में "सीटीसी प्लाजा" को सील करने के संबंध में है। यह हीरे के आभूषणों, साड़ियों, वेशभूषा, रेडीमेड कपड़ों आदि का एक "ब्रांडेड शोरूम" है। इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है।

रिपोर्ट NO.31

55. रिपोर्ट No.31 दिनांकित 2.3.2007 'कैप्शन' रिपोर्ट संख्या 1 के समान है, निगरानी समिति द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

" 2. निगरानी समिति इसे इस तरह के नोटिस में लाती है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निम्नलिखित प्रतिष्ठान नहीं हैं

( ग) पैरा 15.6 में उल्लिखित आवासीय और मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में निषिद्ध वाणिज्यिक गतिविधियाँ। 2 मास्टर प्लान दिल्ली-2021; ( घ) आवासीय क्षेत्रों में तहखानों में वाणिज्यिक गतिविधियाँ;

( ई) मिश्रित भूमि उपयोग या वाणिज्यिक या पैदल चलने वाली सड़कों के रूप में अधिसूचित 2183 सड़कों के अलावा अन्य सड़कों पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 7 सितंबर और 15 सितंबर 2006 की अधिसूचनाओं द्वारा जिसके लिए कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है (हालांकि सर्वेक्षण और अधिसूचित करने के लिए मास्टर प्लान-2021 में 90 दिनों का समय दिया गया है)

2183 सड़कों के लिए अतिरिक्त सड़कें);

( च) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 16 फरवरी 2006 के निर्णय में उल्लिखित विशिष्ट वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/संपत्तियाँ।

न्यायालय (सिविल अपीलों का निपटारा करते समय, वार्ताकार

इस मामले में आवेदन (आई. ए. 22 के अलावा) और विशेष अनुमति याचिकाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 2006 के अपने फैसले में निर्देश दिया है कि यदि दुरुपयोगकर्ता को सिविल अपील और विशेष अनुमति से जुड़े परिसरों में नहीं रोका जाता है

याचिकाएं, निर्णय में जो कहा गया था, उसके अधीन, एम. सी. डी. जल्द ही उन परिसरों को सील करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा।

30 दिनों की समाप्ति के बाद)। एम. सी. डी. से ऐसी संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जिन्हें इस आदेश के अनुसार सील किया जाना है)। दिनांकित रिपोर्ट संख्या 4 में उल्लिखित विशिष्ट संपत्तियाँ 14 सितंबर 2006 की निगरानी समिति (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान), माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार

दिनांक 29 सितंबर 2006 का आदेश।

रिपोर्ट NO.34

56. रिपोर्ट No.34 दिनांकित 9.4.2017 'कैप्शन' रिपोर्ट संख्या 1 के रूप में है। सीलिंग करने के लिए पुलिस बल की उपलब्धता आवश्यक थी

रिपोर्ट में उल्लेख।

0 ] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिपोर्ट NO.38

57. रिपोर्ट No.38 दिनांकित 21.7.2007 में 'कैप्शन' रिपोर्ट संख्या 1 के रूप में है। रिपोर्ट "मिश्रित-उपयोग विनियमों" के संबंध में है और " एम. पी. डी.-2021 के अनुसार विशेष क्षेत्र विनियम। रिपोर्ट में एम. पी. डी.-2021 के विनियमन संख्या 16.2 का उल्लेख किया गया था। यह भी बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में एक भूखंड पर एक दुकान होनी चाहिए। पंजीकरण का विवरण छोटी दुकानों, पेशेवरों के लिए दिया गया था।

आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक और अन्य गतिविधियाँ। के बारे में मिश्रित भूमि उपयोग के लिए रूपांतरण शुल्क, कुछ सुझाव दिए गए थे। रिपोर्ट में अतिक्रमण का विवरण भी है

सार्वजनिक भूमि। रिपोर्ट में एमपीडी 2021 के प्रावधानों और "अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण" के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। " "ग्राम सभा" की सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण, अधिग्रहित भूमि, "डी. डी. ए. भूमि", "एम. सी. डी. भूमि", "वन भूमि" आदि। यह बताया गया कि कुल

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण "26,830 बीघा 17 बिस्वास" है। अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो सार्वजनिक भूमि पर बनी हैं "

" व्यावसायिक गतिविधियाँ भी।

रिपोर्ट NO.43

58. रिपोर्ट No.43 दिनांकित 5.10.2007 'कैप्शन' रिपोर्ट संख्या 1 के समान है। यह पूरी रिपोर्ट No.43 से स्पष्ट है कि यह था

पंजीकृत छोटी दुकानों, "मिश्रित उपयोग" और "वाणिज्यिक गतिविधियों" के लिए रूपांतरण शुल्क के भुगतान से संबंधित। रिपोर्ट में आगे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण और "सार्वजनिक भूमि" पर राज विद्या केंद्र के "अतिक्रमण" के बारे में बताया गया है।

रिपोर्ट NO.46

59. नई दिल्ली में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड के परिसरों को सील करने के संबंध में आई. ए. के संबंध में रिपोर्ट No.46 दिनांक 12.11.2007 दायर की गई थी।

फ्रेंड्स कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी में विभिन्न "बिजनेस स्कूल और संस्थान, फिजियोथेरेपी और कल्याण केंद्र/होटल" क्षेत्र जहां

" आवासीय परिसरों का उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया गया है।

रिपोर्ट NO.47

60. लघु दुकानें व्यापारी कल्याण संघ के सीलबंद परिसरों के संबंध में इस न्यायालय में दायर विभिन्न आई. ए. के संबंध में दिनांकित आई. डी. 1 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। निगरानी समिति ने विधाता एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पाया कि यह चल रहा था " भवन निर्माण में व्यावसायिक गतिविधियाँ। निगरानी समिति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

" पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए निगरानी समिति प्रस्तुत करती है कि आवेदक, जो किसी भवन में वाणिज्यिक गतिविधियाँ चला रहा है

गैर-अधिसूचित सड़क से सटे भूखंड का एक हिस्सा, अनधिकृत

निर्माण और अधिसूचित सड़क तक कोई कानूनी पहुंच नहीं है,

इस मामले में किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

( जोर दिया गया)

61. कुछ होटल, अतिथि गृह, अन्य वाणिज्यिक परिसर, व्यवसाय

ओल्स आदि का भी उल्लेख किया गया था। इनमें से कोई भी वस्तु विशुद्ध रूप से आंतरिक परिसर के लिए नहीं है। निगरानी समिति ने आगे कहाः

" एम. सी. डी. को पहले ही निगरानी द्वारा सूचित किया जा चुका है।

समिति कि आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं

माननीय द्वारा गठित निगरानी समिति के निर्देश इस उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय "।

रिपोर्ट NO.75

62. रिपोर्ट No.75 दिनांकित 1.1.2020 "वाणिज्यिक" से संबंधित है।

"रीबॉक शोरूम" द्वारा अनधिकृत निर्माण,वेस्ट एंड इन, सेंट्रल प्लाजा, एन. एच. 8 और रंगापुरी एक्सटेंशन।

63. मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के संबंध में

ली, 2021 (एम. पी. डी.-2021), अपनी वास्तविक भावना में, सभी "वाणिज्यिक गतिविधियों में

आंतरिक परिसरों की पहचान की जाती है और उन्हें हटा दिया जाता है। निगरानी समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं का उल्लेख किया हैः

" 2. निगरानी का विशेष विषय

समिति

निगरानी समिति प्रस्तुत करती है कि समिति ने

यह सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था

इस मामले में अपने आदेशों को लागू करने के बाद

आवासीय परिसरों के बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण पर विचार करें।

विभिन्न आदेशों द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया दिशा-निर्देश और यह भी सुनिश्चित किया कि सरकार ने

दिल्ली का मास्टर प्लान, 2021। निगरानी समिति ने कोशिश की है

एम. पी. डी.-2021 को सही मायने में लागू करना सुनिश्चित करना

यह सुनिश्चित करना कि आवासीय परिसरों में सभी वाणिज्यिक गतिविधियाँ

पहचाना और हटाया गया। कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

0 ] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. आवासीय भूखंड पर केवल एक छोटी सी दुकान की स्वीकार्यता

परिसर

2. वर्गीकृत सड़कों का पुनः सर्वेक्षण। कई सड़कें जो एम. एल. यू./वाणिज्यिक सड़क के रूप में अधिसूचित होने के योग्य नहीं हैं।

एम. सी. ई. डी. द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को दिए गए आश्वासन और निगरानी समिति द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद एम. सी. डी. सर्वेक्षण को अधिसूचित नहीं किया गया है। एक मामले में ए एंड बी कॉलोनी (ए-4 सर्वोदय एन्क्लेव) में एक ही संपत्ति को ई एंड एफ कॉलोनी के साथ जोड़ा गया है और 15 सितंबर 2006 की अधिसूचना में संशोधन करके एमपीडी-2021 का घोर उल्लंघन करते हुए इसे वाणिज्यिक सड़क के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. ग्रामीण और शहरी गाँवों में व्यावसायीकरण।

4. व्यापारियों द्वारा सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण।

5. रोहिणी क्षेत्र में डी. डी. ए. पाक में डी-1, डी-1 ए और डी-18, ग्रीन पार्क मिन मार्केट, जहाज महल (महरौली) शिव मार्केट आदि गैर-अनुमेय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों को सील न करना।

6. वाणिज्यिक सड़कों पर पार्किंग और मुफ्त वितरण। 7 . एम. सी. डी. के केवल दो क्षेत्रों में 70 से अधिक मामलों में मुहरों को तोड़ना, जिनके लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

अदालती कार्यवाही की अवमानना "।

रिपोर्ट NO.85

64. रिपोर्ट No.85 दिनांकित 4.4.2011 में, 'कैप्शन' रिपोर्ट संख्या 1 के समान है। निगरानी समिति द्वारा एक शिकायत की गई थी इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए "वाणिज्यिक/मिश्रित भूमि उपयोग" के तहत कुछ प्रतिष्ठानों को "डी-सीलिंग" करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर। डॉ. लाल पथ लैब्स, 54, हनुमान रोड द्वारा "सार्वजनिक भूमि पर निर्माण" और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण और "खान मार्केट" क्षेत्र में दुकानों/फ्लैटों के दुरुपयोग का विवरण संबंधित था।

रिपोर्ट NO.103

65. रिपोर्ट No.103 दिनांक 12.4.2016 में, यह बताया गया था कि इस न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को मामलों को प्रेषित करने के अनुसार,

आदेश के कार्यान्वयन में विभिन्न कठिनाइयों को इंगित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामलों की सुनवाई और न्यायाधिकरणों के समक्ष अपीलों के निपटारे की प्रगति के संबंध में विवरण दिए गए थे।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

अनधिकृत कॉलोनी, गाँव और अबादी क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि पर निर्मित शहरी गाँवों सहित) में संपत्तियों की डी-सीलिंग का विवरण दिया गया था। शाहदरा उत्तर, रोहिणी, मध्य, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में पुनः सर्वेक्षण की गई 140 सड़कों को अधिसूचित करने से पूर्ववर्ती एम. सी. डी. की स्थायी समिति के इनकार के बारे में विवरण दिया गया था। विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा दिनांक 1 और 2 के आदेशों के उल्लंघन और डॉ. लाल पथ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के सीलिंग मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के संबंध में अन्य तथ्यों की ओर इशारा किया गया था। लिमिटेड आदि। और सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण इस प्रकार दिया गया थाः

" निगरानी समिति माननीय न्यायालय को बताएगी कि नगर निगम प्राधिकरण, एन. डी. एम. सी. और डी. डी. ए. अनधिकृत निर्माण और जनता/सरकार पर अतिक्रमण के संबंध में अपने कर्तव्य के पालन में ढिलाई बरत रहे हैं। भूमि। बड़े पैमाने पर जनता निर्धारित आदेशों यानी बिल्डिंग बाय लॉज और मास्टर प्लान आदि का उल्लंघन कर रही है। अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में भय का कारक जनता के दिमाग से पूरी तरह से गायब है जिससे पूरी दिल्ली में जमीनी स्तर पर अराजक स्थिति पैदा हो रही है। संबंधित अधिकारी वहाँ निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। डी. डी. ए. अपनी भूमि की रक्षा करने में सक्षम नहीं है और वहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। डी. डी. ए. को एक नीति के रूप में एक

भूमि को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचाने और उनकी भूमि का नियमित निरीक्षण करने के लिए चारदीवारी। "

रिपोर्ट NO.104

66. रिपोर्ट No.104 दिनांक 30.10.2017 "मिश्रित उपयोग भूमि" के संबंध में "रूपांतरण शुल्क", 140 सड़कों की अधिसूचना रद्द करने, "सार्वजनिक और सरकारी भूमि" पर "अनधिकृत निर्माण" और "सरकारी भूमि में अतिक्रमण के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों का निर्माण" से संबंधित है। रिपोर्ट में आगे दिल्ली क्लॉथ मिल्स और अन्य संस्थानों जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उल्लंघन के बारे में कहा गया है जहां "वाणिज्यिक दुकानें" बनाई गई थीं और एंबेसडर "होटल" के बारे में बताया गया है। आदि।

रिपोर्ट NO.106

67. निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 106 दिनांक 10.1.2018 में, सार्वजनिक भूमि उपयोग का अधिग्रहण किया गया था जहां अनधिकृत संरचनाएं थीं।

उठाया गया। निगरानी समिति ने निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" निगरानी समिति ने अनधिकृत संरचनाओं को सील करने, दुरुपयोग को समाप्त करने और डी. डी. ए./सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने और इस प्रक्रिया में किसी भी अवैध कार्य के लिए जनता को उनके अपराध की गंभीरता के बारे में जागरूक करने के लिए अपनी योजना को अंतिम रूप दिया है। डी. डी. ए. भूमि और वन की पुनर्प्राप्ति

भूमि निगरानी समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाला कार्य है। " रिपोर्ट NO.111

68. ई-5 ए, हौज खाज मार्केट, नई दिल्ली से संबंधित रिपोर्ट No.111 दिनांक 7.2.2018 में यह प्रस्तुत किया गया था कि यह दुकानों के अंतर्गत आता है। सह-आवासीय उपयोग, स्थानीय खरीदारी केंद्र के रूप में नहीं। रिपोर्ट "आवासीय में पेशेवर गतिविधियों के लिए तहखाने के उपयोग" के बारे में थी।

परिसर "। इसने आगे "सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण" से निपटा और प्रस्तुत किया कि "परिवर्तित दुकानों सह निवास में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है"।

रिपोर्ट NO.112

69. निगरानी समिति की रिपोर्ट No.112 दिनांक 9.2.2018 आवासीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर "वाणिज्यिक गतिविधियों" से संबंधित है।

शाहदरा, दक्षिण क्षेत्र में परिसर।

रिपोर्ट NO.114

70. रिपोर्ट No.114 दिनांक 3.4.2018 ग्राम सभा की भूमि, अधिग्रहित भूमि, डी. डी. ए. की भूमि और एम. सी. डी. की भूमि पर अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया था कि गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आवासीय परिसरों के संबंध में कोई नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है।

रिपोर्ट NO.118

71. रिपोर्ट No.118 दिनांकित 7.5.2018 "खान बाजार" से संबंधित है जहाँ "बरामदों का अतिक्रमण किया गया था और दुकानों में मिला दिया गया था"

जिससे बाजार में आने वालों को परेशानी होती है। रिपोर्ट में आगे रोहिणी क्षेत्र के संजय मार्केट, मंगोलपुर कलां में डी. डी. ए. भूमि के अतिक्रमण और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए परिसर के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है।

रिपोर्ट NO.119

72. रिपोर्ट No.119 दिनांकित 24.5.2018 लाजपत नगर-IV और अमर कॉलोनी में "सीलिंग संचालन" की धीमी प्रगति के बारे में है। शरणार्थी कॉलोनी, जहाँ मालिकों/रहने वालों द्वारा "सरकारी भूमि" पर बड़े पैमाने पर "अतिक्रमण" किए गए थे।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

रिपोर्ट NO.120

73. रिपोर्ट No.120 दिनांकित 11.6.2018, फिर से इस न्यायालय के दिनांकित 29.9.2006 के आदेश का उल्लेख किया गया है जिसमें "आवासीय उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता के रूप में परिवर्तित करने" के संबंध में कहा गया है।

इस न्यायालय की अनुमति के अलावा वाणिज्यिक उपयोगकर्ता।

यह देखा गया कि सरकार का दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि

इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन, और विशेष कार्य बल और निगरानी समिति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जारी रखने का निर्देश दिया गया था।

रिपोर्ट NO.121

74. रिपोर्ट No.121 दिनांक 13.6.2018 सीलिंग अधिकारी के साथ स्थानीय निकायों के "असहयोग" के बारे में थी, जहां निरीक्षण के बाद, यह पाया गया कि कुछ "छतों" का उपयोग अवैध रूप से भूखंडों को जोड़ने के बाद "पब" और "डांस फ्लोर" के रूप में किया जा रहा था।

रिपोर्ट NO.124

75. रिपोर्ट No.124 दिनांक 4.7.2018 में फिर से, सीलिंग प्रक्रिया में अधिकारियों के "गैर-सहयोग" के संबंध में एक शिकायत की गई थी क्योंकि मास्टर प्लान (MPD-2021) विचाराधीन था।

रिपोर्ट NO.125

76. रिपोर्ट No.125 दिनांकित 31.7.2018 विशेष कार्य बल के गठन से संबंधित है। यह इंगित किया गया था कि वहाँ था "गैर

"विशेष कार्य बल" द्वारा सहयोग। विवरण का उल्लेख किया गया था

अमर कॉलोनी, लाजपत नगर में सीलिंग कार्रवाई, जहां सरकार द्वारा केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए बनाए गए "घरों" को दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में शरणार्थियों को पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था। उनमें से अधिकांश का उपयोग सरकारी और आम भूमि पर "अनधिकृत निर्माण करके वाणिज्यिक गतिविधियों" के लिए किया जाता था। सड़कों के बारे में भी जानकारी दी गई।

रिपोर्ट NO.127

77. रिपोर्ट संख्या 127 दिनांकित 20.8.2018 फिर से अवैध/अनधिकृत निर्माण से संबंधित थी। "बुराड़ी क्षेत्र" (उत्तरी एम. सी. डी.) के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि क्षेत्र में तोड़फोड़ की गई थी और विशाल था।

अनाधिकृत निर्माण हुआ है। "विश्वास नगर" (ईडीएमसी) के संबंध में, रिपोर्ट "आवासीय परिसरों का उपयोग गो डाउन के रूप में किया जा रहा है" और "निषिद्ध उद्योगों" के लिए स्थानों के भंडारण से संबंधित

थी। दक्षिण क्षेत्र के किशनगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की सूचना मिली [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अतिक्रमण के माध्यम से डी. डी. ए. भूमि पर। इसी तरह, कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पर डी. डी. ए. की भूमि पर अतिक्रमण की ओर इशारा किया गया। एस. डी. एम. सी. के भट्टी खान क्षेत्र में, "राजस्व/वन भूमि के अतिक्रमण" की ओर इशारा किया गया था।

रिपोर्ट NO.128

78. रिपोर्ट No.128 दिनांकित 5.9.2018 में सुझाव दिए गए थे

स्थायी डी-सीलिंग मानदंडों के संबंध में। के बारे में संदिग्ध विचलन अनधिकृत निर्माणों के दुरुपयोग की ओर इशारा किया गया। " "सार्वजनिक भूमि" पर अनधिकृत कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण किए जा रहे थे। "डीडीए भूमि पर अतिक्रमण" के बारे में विवरण दिया गया था।

रिपोर्ट NO.129

79. रिपोर्ट में No.129 दिनांकित 18.9.2018 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी

गोकुलपुर में चल रही अवैध डेयरी के बारे में, जिसे सील कर दिया गया था लेकिन सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

रिपोर्ट NO.131

80. रिपोर्ट No.131 दिनांक 8.10.2018 इस न्यायालय द्वारा संसद के सदस्यों में से एक को जारी किए गए "अवमानना नोटिस" से संबंधित है।

रिपोर्ट NO.134

81. रिपोर्ट No.134 उन "मोटलों/फार्म हाउसों" के बारे में प्रस्तुत की गई थी जिन्होंने अपने भूखंडों में "पंडाल, शामियाना, शेड" आदि का निर्माण किया है। इस न्यायालय के दिनांकित 12.10.2018 आदेश में यह भी कहा गया था कि

यहाँ नीचे निकाला गया हैः

..... . ..... .....एक अंतरिम उपाय के रूप में, हम निर्देश देते हैं कि के तहखाने

विचाराधीन परिसर अगले आदेश तक सील रहेगा।

आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी का कहना है कि विचाराधीन परिसर में कोई पंडाल नहीं बनाया जाएगा। इस उपक्रम को ध्यान में रखते हुए, परिसर की मुहर खोली जा सकती है। निगरानी समिति के साथ-साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे।

दिन होते हैं।

आवेदक चार दिनों के भीतर इन रिपोर्टों का जवाब दे सकता है।

इसके बाद "।

82. एमपीडी-2021 के कुछ उल्लंघनों का भी संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन किए जाने की ओर इशारा किया गया था।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

रिपोर्ट NO.144

83. रिपोर्ट No.144 दिनांकित 11.12.2018 22 ए, जनपथ में स्थित संपत्ति के संबंध में "दिल्ली उच्च न्यायालय" के समक्ष "लंबित मामलों" के संबंध में है। "आवासीय उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक के रूप में उपयोग की जाने वाली" भूमि के परिवर्तन "के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और आवासीय परिसर का उपयोग केमिस्ट की दुकान चलाने के लिए किया गया था। इसी तरह, अन्य मामलों का भी उल्लेख किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम (टी. पी. पी.) के संबंध में भूखंडों का कुछ "आवंटन" "आवासीय उद्देश्य" के लिए किया गया था, लेकिन उनका उपयोग "वाणिज्यिक गतिविधियों" के लिए किया जा रहा था। उन भूखंडों पर शोरूम, रेस्तरां, जिम आदि संचालित होने की सूचना मिली थी। रिपोर्ट में आगे मधु विहार और वनस्थली पब्लिक स्कूल में सिंगला स्वीट्स (वाणिज्यिक) के संबंध में कहा गया है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बनाया गया था।

और भूमि का अधिग्रहण किया।

84. 7.5.2019 दिनांकित आदेश को पक्षों के विद्वान वकील द्वारा बार-बार इंगित किया गया था। 7.5.219 पर इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि निगरानी समिति निम्नानुसार हैः

" श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र, और दोनों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

पक्षों को।

I.A.No। 61593/2019 और 61594/2019

एक सवाल उठाया गया है कि क्या समिति के पास निर्माण किए गए परिसरों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है और इमारतों का निर्माण और उपयोग नहीं किया गया है

औद्योगिक उद्देश्य। सवाल यह भी उठाया जाता है कि क्या समिति

अनधिकृत निर्माण की देखभाल करने के लिए सशक्त किया गया है, जब वे विशुद्ध रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए हों।

हम समिति से अपनी राय भेजने का अनुरोध करते हैं कि क्या उसने अतीत में अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जहां

परिसरों का केवल निर्माण किया जाता है और इनका उपयोग आवासीय के रूप में किया जाता है और अनधिकृत निर्माण करने का आरोप है या मौजूदा संरचना में कुछ विचलन किया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि समिति इस संबंध में अपनी सुविचारित राय पहले प्रस्तुत करेगी

यह न्यायालय।

***

***

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और दिल्ली विकास में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम, 1957, अधिसूचना डी. डी. ए. द्वारा 22.03.2016 पर जारी की गई थी। अध्याय 1 में नियमितीकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 2.27

इसे नीचे निकाला गया हैः

" 2.27 किसी भी इमारत या उसके हिस्से का निर्माण अनधिकृत रूप से मंजूरी/पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना किया गया है, जिसे लिखित सूचना/उपक्रम द्वारा सूचित किया गया है, अगर वह भुगतान करके बीबीएल और एमपीडी प्रावधानों के दायरे में है, तो इसे नियमित किया जा सकता है। अनुलग्नक IV के अनुसार आवश्यक शुल्क और शुल्क।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि निर्माण मास्टर प्लान के अनुसार है और कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र में है। चाहे वह विचलन का मामला हो या पूरी तरह से अनधिकृत निर्माण का।

माप की रिपोर्ट के दृष्टिकोण पर भी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है और उसके बाद, मामले में निर्णय लिया जा सकता है

वस्तुनिष्ठ तरीके से, क्या इसे यौगिक किया जा सकता है या नहीं

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार। समिति को जाने दें। रिपोर्ट मिलने के 15 दिनों के भीतर मामले का नए सिरे से फैसला करें।

संबंधित पक्षों को सुनने के बाद। एस. डी. एम. की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 03.04.2019 दिनांकित पत्र लिखा है। जैसा कि विद्वान वकील श्री अभिमन्यु भंडारी ने प्रार्थना की थी, यह आवेदकों के लिए बागवानी और पानी को बनाए रखने के लिए खुला है।

पादप आदि।

आवश्यक वस्तुओं आदि को बाहर निकालने के लिए, यह खुला है

समिति को आवेदन करने के लिए आवेदक।

इस न्यायालय ने निगरानी समिति को निर्देश दिया कि वह

निगरानी समिति की शक्ति, और न ही वे प्रश्नगत बिंदु के लिए प्रासंगिक हैं। 85. यह इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों और निगरानी एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम की विभिन्न रिपोर्टों से स्पष्ट है।

समिति ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा उन आवासीय परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कभी अधिकृत नहीं किया गया था जिनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था। इसे केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोगकर्ता की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि निगरानी समिति को भी इस मामले को देखना चाहिए

" सार्वजनिक भूमि "और" अनधिकृत कॉलोनियों "पर अतिक्रमण जो सार्वजनिक भूमि पर आए हैं और बिना सार्वजनिक भूमि के पूरी तरह से अनधिकृत थे।

मंजूरी। किसी भी समय, इस न्यायालय ने निगरानी समिति को विशुद्ध रूप से आवासीय परिसर के संबंध में कार्य करने का अधिकार नहीं दिया था।

86. संपत्ति को सील करने की शक्ति के नागरिक परिणाम होते हैं। एक प्रक्रिया का पालन करके एक व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है।

87. संविधान के अनुच्छेद 300 ए में प्रावधान है कि किसी को भी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से संपत्ति और निवास के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जब कानून एक तरीका निर्धारित करता है, तो संपत्ति का अभाव अन्य तरीकों से नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय ने समिति को मामले में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। निम्नलिखित में निर्दिष्ट निर्णयों में निर्धारित विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। बार इस प्रकार हैः

( क) राजस्थान राज्य बनाम। बसंत नाहटा, (2005) 12 एस. सी. सी. 77, जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 59. ..... संसदीय या विधायी अधिनियम में निहित किसी भी ठोस प्रावधान के अभाव में, उन्हें इससे दूर नहीं रखा जा सकता है। अपनी संपत्ति के साथ वह जिस तरह से चाहे व्यवहार करता है। इस तरह का वैधानिक हस्तक्षेप किसी की संपत्ति के अधिकार के खिलाफ होगा जैसा कि परिकल्पना की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत। "[2020] 10 एस. सी. आर.

( ख) के. टी. प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड वी। कर्नाटक राज्य (2011) 9

1 जिसमें यह राय दी गई थीः

" 168. अनुच्छेद 300-ए घोषणा करता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है

एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का समर्थन। अभिव्यक्ति " अनुच्छेद 300 में "संपत्ति"-ए केवल भूमि तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल हैं

प्रतिलिप्याधिकार और अन्य बौद्धिक संपदा जैसे अमूर्त और

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हर संभव हित को शामिल करता है।

169. राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम में यह न्यायालय। विष्णुनारायण और

एसोसिएट्स (पी) Ltd.6, पश्चिम के प्रावधानों की जांच करते हुए

बंगाल ग्रेट ईस्टर्न होटल (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम,

1980 , अनुच्छेद 300-क के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य या

कार्यकारी अधिकारी दूसरों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि

वे कानून के विशिष्ट प्रावधानों को इंगित कर सकते हैं जो अधिकृत करते हैं

उनके अधिकार।

( जोर दिया गया)

( ग) टी. विजयलक्ष्मी बनाम। नगर नियोजन सदस्य, (2006) 8

502 , न्यायालय ने कहाः

" 13. नगर नियोजन कानून प्रकृति में नियामक होते हैं। अधिकार। किसी व्यक्ति की संपत्ति में भवन निर्माण का अधिकार शामिल होगा।

हालाँकि, इस तरह के अधिकार को कानून के कारण प्रतिबंधित किया जा सकता है।

कर्नाटक शहर और देश के प्रावधानों के संदर्भ में

योजना अधिनियम, एक व्यापक विकास योजना तैयार की गई थी।

यह निर्विवाद रूप से अभी भी लागू है। क्या संशोधनों में

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित व्यापक विकास योजना ने कहा

अंततः राज्य द्वारा स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह अनिश्चित है। यह है।

अभी तक अपने दिमाग को लागू करने के लिए। विकास योजना में संशोधन आवश्यक है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप। जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है,

राज्य ने नागरिकों से आपत्ति का आह्वान किया है। पारिस्थितिक संतुलन

नगर नियोजन कानून। यदि स्वयं विधान में या कानून में क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए, पारिस्थितिक पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है

2 ) 4 एस. सी. सी. 134 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य और प्राधिकरण को इसके लिए दोष लेना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि मामले के इन पहलुओं पर विचार किया गया था प्राधिकरण और राज्य। लेकिन जब तक कानून में उचित संशोधन लागू नहीं किया जाता है, तब तक पक्षों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

* *

15. इस संबंध में कानून स्पष्ट है। किसी व्यक्ति का निर्माण करने का अधिकार

आवासीय क्षेत्र में आवासीय घर एक मूल्यवान अधिकार है। द.

उक्त अधिकार को केवल एक नियामक क़ानून के संदर्भ में विनियमित किया जा सकता है

लेकिन जब तक कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है, तब तक इसे नहीं लिया जा सकता है दूर। ..... "

( जोर दिया गया)

( घ) यू. पी. राज्य के मामले में v. मनोहर (2005) 2 एससीसी 126,

न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 7. हमारा संवैधानिक लोकतंत्र है और हमारे पास उपलब्ध अधिकार हैं नागरिकों को संविधान द्वारा घोषित किया जाता है। हालांकि लेख

19 ( 1 ) ( च) के चालीसवें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था

संविधान में अनुच्छेद 300-ए रखा गया है।

जो इस प्रकार हैः

" 300 - ए. जिन व्यक्तियों द्वारा बचत की गई संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा

कानून का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार से बचाएँ "।

राज्य प्राधिकरण हैं। ..... " ( ई) दिल्ली में एयरटेक सर्विसेज (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. यू. पी. राज्य और

2011 ) 9 एस. सी. सी. 354, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 83. अभिव्यक्ति "कानून" जो अनुच्छेद 21 और दोनों में शामिल है

कानून का अर्थ होगा एक वैध रूप से अधिनियमित कानून। वैध होने के लिए कानून के संबंध में यह न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए

अनुच्छेद 14 और 21 की आवश्यकता जैसा कि मेनका गांधी में समझाया गया है।

यह विशेष रूप से ऐसा है क्योंकि अनुच्छेद 21 और 300-ए दोनों में "कानून" [2020] 10 एस. सी. आर. है।

इसका उद्देश्य अधिकारों के हनन को रोकना है। जहाँ तक अनुच्छेद 21 का संबंध है संबंधित, यह एक मौलिक अधिकार है जबकि अनुच्छेद 300-ए में यह है

एक संवैधानिक अधिकार जिसे एक बुनियादी अधिकार का दर्जा दिया गया है मानव अधिकार "।

( च) यह आगे तर्क दिया गया कि योजना कानून अनुचित हैं और

घ का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, और किसी भी अस्पष्टता का अर्थ लगाया जाना चाहिए

दिल्ली एयरटेक सर्विसेज में निर्धारित संपत्ति के मालिक का अधिकार

टी. डी. वी. और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य ( ऊपर) इस प्रकारः

" 129. कानून जो अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, चाहे वे संबंधित हों।

व्यक्ति या संपत्ति, उसी में सख्त निर्माण के अधीन हैं

दंडात्मक अधिनियमों के रूप में। यह एक मान्यता प्राप्त नियम है कि उन्हें होना चाहिए

व्याख्या, यदि संभव हो, ताकि ऐसे अधिकारों का सम्मान किया जा सके और यदि

कोई अस्पष्टता, वह निर्माण जो स्वतंत्रता के पक्ष में हो

व्यक्ति को अपनाया जाना चाहिए। ( मैक्सवेल को द पर देखें

130. देविंदर सिंह के मामले में इस अदालत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक अनुचित विधान है और इसके मामले का पालन किया जाता है

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन। वी. डेरियस शापुर चेनाई 3. इसलिए,

इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। अदालत ने भी विचार लिया है

कि निर्देशिका आवश्यकताओं के मामलों में भी, पर्याप्त अनुपालन इस तरह के प्रावधान के साथ आवश्यक होगा।

( जोर दिया गया)

( छ) रामचंद्र रवीन्द्र वाघमारे बनाम। इंदौर नगरपालिका

व्याख्यान, (2017) 1 एस. सी. सी. 667 में यह राय दी गई थीः

" 67. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि नगर योजना और नगरपालिका संस्थान निजी संपत्ति के उपयोग को विनियमित और प्रतिबंधित कर रहे हैं

उपरोक्त अधिनियमों के तहत। वे "अनुचित कानून" हैं।

इस प्रकार वे इंदौर में निर्धारित सख्ती से माने जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

विकास अधिकारन बनाम। प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड "।

( ज) अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शुद्ध औद्योगिक

& केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। , ( 2007 ) 8 एस. सी. सी. 705, यह आयोजित किया गया थाः

8 ) 1 एस. सी. सी. 728 5 ) 7 एस. सी. सी. 627

विकास अधिकारन बनाम। प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। ( 2007 ) 8

05 .

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

" 57. अधिनियम अपने कारण से विनियामक प्रकृति का है -

संपत्ति के मालिक का उपयोग करने और विकसित करने का अधिकार प्रतिबंधित है, सख्त निर्माण की आवश्यकता है। आम तौर पर भूमि का मालिक होगा

इसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने या विकसित करने का अधिकार है जब तक कि एक क़ानून या वैधानिक नियमों में कुछ विनियमन मौजूद हैं। नियम-कानून

कम से कम मालिक की संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए ऐसी भूमि। व्यापक जनहित में प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस तरह

कुमावत बनाम। भारत संघ "; कृषि उत्पादन मंडी समिति वी. पीलीभीत पंतनगर बीज लिमिटेड "और भारत संघ बनाम. पश्चिम

कोस्ट पेपर मिल्स Ltd.¹2) वैधानिक योजना में विचार किया गया है

कि किसी व्यक्ति और भूमि के मालिक को आम तौर पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए उसके उपयोगकर्ता से आरक्षण या पदनाम के माध्यम से।

सख्त निर्माण "। ( (i) गुजरात राज्य में v. शांतिलाल मंगलदास और अन्य। , ( 1969 )

सी 509, यह आयोजित किया गया थाः

" 55. ..... नगर-योजना योजना के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद, भूमि नगर नियोजन के प्रावधानों के अधीन हो जाती है

अधिनियम, और अंतिम नगर-योजना योजना को मंजूरी दी जा रही है,

वैधानिक संचालन विभिन्न मालिकों के शीर्षक को फिर से समायोजित किया जाता है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि स्थानीय प्राधिकरण में निहित होती है।

नगर नियोजन योजना के किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि

अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक निपटान है

विधियों की व्याख्या का नियम कि जब इसके तहत शक्ति दी जाती है

कानून एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने के लिए चीज होनी चाहिए

इस तरह से किया गया या बिल्कुल नहीं किया गयाः "

( जोर दिया गया)

( जे) भावनगर विश्वविद्यालय बनाम। पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड,

3 ) 2 एस. सी. सी. 111 में यह राय दी गई थीः

" 40. संपत्ति के उपयोग और आनंद का वैधानिक प्रतिबंध

इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक वैधानिक किसी कार्य को एक विशेष तरीके से करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, उसी तरह

4 ) 1 एस. सी. सी. 391

इसे इस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। राज्य और अन्य

उक्त अधिनियम के तहत कार्य करते समय अधिकारी केवल

कानून। उन्हें इसके चारों कोनों के भीतर काम करना चाहिए।

( जोर दिया गया)

( के) श्रीरामपुर नगर परिषद बनाम। सत्यभामाबाई

भीमाजी डाकर (2013) 5 एस. सी. सी. 627 यह आयोजित किया गया थाः

" 43. ..... यही कारण है कि दस साल की समय-सीमा निर्धारित की गई है। धारा 31 (5) में और धारा 126 और 127 के तहत भी विहित

भूमि अधिग्रहण के लिए 1966 अधिनियम, एक शर्त के साथ कि यदि

नोटिस जारी होने के छह महीने के भीतर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है।

धारा 127 के तहत या अधिग्रहण के लिए कदम शुरू नहीं किए गए हैं,

भूमि का आरक्षण समाप्त माना जाएगा। श्री.

धारा 126 और 127 की योजना की नाफडे की व्याख्या,

यदि स्वीकार किया जाता है, तो बेतुके परिणाम होंगे और भूमि मालिक होंगे

अनिश्चित काल के लिए संपत्ति का उपयोग करने के उनके अधिकार से वंचित

बिना मुआवजे के। यह समान होगा कि

कानून की मंजूरी के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित करना। और इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन होगा।

( जोर दिया गया)

88. यह स्पष्ट है कि विशेष रूप से जब निगरानी

समिति को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, सत्ताधारियों को कानून के अनुसार सुरक्षा की उचित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता था। निगरानी समिति की कार्रवाई के खिलाफ, कहीं और कोई अपील नहीं है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी किसी भी मामले पर विचार करने और अपनी कार्रवाई की जांच करने के लिए

अधिकृत नहीं है, इस न्यायालय द्वारा जनहित में एक असाधारण उपाय के रूप में उठाया गया कठोर कदम है, और यह इन मामलों तक ही सीमित है -

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय संपत्ति का दुरुपयोग और सार्वजनिक भूमि, सड़कों पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण।

89. निगरानी समिति की रिपोर्ट को देखने के बाद

न्यायमित्र द्वारा जिन अन्य रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है, उनमें कोई संदेह नहीं है कि निगरानी समिति ने अतीत में किसी भी समय निजी भूमि पर स्थित आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे किसी भी आवासीय परिसर को सील नहीं किया था और न ही उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया जा सकता था। निगरानी समिति की विभिन्न रिपोर्टों का 'शीर्षक' अर्थात " निगरानी की प्रारंभिक रिपोर्ट

वाणिज्यिक एम. सी. मेहता बनाम की सीलिंग के लिए समिति।

भारत और ओआरएस का संघ। [ अरुण मिश्रा, जे।]

आवासीय पूर्वानुमोदों में स्थापनाएँ "इसे बनाती हैं यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निगरानी समिति ने उस उद्देश्य के बारे में कोई संदेह नहीं रखा जिसके लिए इसका गठन किया गया था। इसके अलावा, बाद के आदेशों द्वारा सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर अनधिकृत निर्माण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो एमपीडी-2021 का उल्लंघन करता है।

90. विद्वान न्यायमित्र ने वैकल्पिक निवेदन उठाया कि निगरानी समिति ने पत्र के इशारे पर ईमानदारी से काम किया

उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा गया। हमारी राय है कि निगरानी समिति ऐसे किसी भी पत्र के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। निगरानी समिति के लिए इस मामले में कार्रवाई करने की अनुमति नहीं थी। हो सकता है कि इसने पत्र द्वारा उत्पन्न किसी भ्रम के तहत काम किया हो। जो भी हो सकता है। हम ईमानदारी के मामले में आगे नहीं जाना चाहते हैं।

हालाँकि, यह स्पष्ट है कि इसकी कार्रवाई उस उद्देश्य से परे थी जिसके लिए इसे नियुक्त किया गया था।

91. हम अन्य प्रस्तुतियों के गुण-दोष में नहीं जा रहे हैं, चाहे परिसर अधिकृत हों या अनधिकृत, उन्हें नियमित किया जा सकता है या नहीं, चक्रवृद्धि की जा सकती है या कोई विचलन किया गया है। निगरानी समिति की रिपोर्ट और उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पास विभिन्न प्रश्नों में जाने का कोई अधिकार नहीं था। इस न्यायालय ने निगरानी समिति की नियुक्ति नहीं की थी

निजी भूमि पर प्रत्येक आवासीय भवन का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किया गया और उससे निपटने के लिए। वर्तमान मामले में, यह न्यायालय स्वयं एक सीमित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मामले की निगरानी कर रहा है। इसने अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरणों की शक्तियों को नहीं खोया है

आदेश में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों से संबंधित।

92. चूँकि हमने केवल निगरानी समिति की शक्तियों के दायरे पर विचार किया है, इसलिए हमने उन प्रस्तुतियों को नहीं छुआ है जो

जैसा कि श्री गोवर्धन ने उठाया था, वे निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं थे।

93. हम प्रस्तुत रिपोर्ट No.149 और अन्य रिपोर्टों को रद्द कर देते हैं।

बाद में रिपोर्ट No.149 और उसके अनुसार सीलिंग की पूरी कार्रवाई के संबंध में। हम विध्वंस का निर्देश देते हुए जारी किए गए नोटिसों को भी रद्द कर देते हैं, जहां इस अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही थी और निगरानी समिति के पास मामले को देखने और कोई कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी। रिपोर्ट No.149 के अनुसार सील की गई संपत्ति को सील कर दिया जाए और मालिकों को तुरंत कब्जा वापस कर दिया जाए। इस आदेश का पालन तीन दिनों के भीतर किया जाए। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश का मतलब [2020] 10 एस. सी. आर. नहीं है।

के लिए निगरानी समिति द्वारा की गई सेवा को कम करें दिल्ली की सुरक्षा। हम न्याय मित्र श्री रंजीत कुमार द्वारा पिछले 24 वर्षों से इस मामले में उनकी अन्य न्याय मित्रों की टीम के साथ अथक परिश्रम और समर्पण के साथ की गई निस्वार्थ सेवा के लिए भी अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

2020 के आई. ए. No.64993 में नोटिस जारी करें।

दिव्या पांडे

निर्देश जारी किए गए।